स्मारिका

विद्युत प्रदाय सर्वोपरि

श्रमेव जयते

रजत जयंती वर्ष 2007

म.प्र.विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ, जबलपुर

57451

स्मारिका

रजत जयंती वर्ष 2007

सम्पादक मण्डल :-
- पं.राजेन्द्र मघरिया
- पं. दिनेश दुबे
- पं. दयाशंकर शुक्ला
- जुगल किशोर कोष्टा

म.प्र.विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ, जबलपुर

अनुक्रमणिका

क्र.	पाठ्य वस्तु		पृष्ठ क्र.
1.	तकनीकी कर्मचारी विद्युत मण्डल की रीढ़ है	दयाशंकर शुक्ला	1
2.	विकास की धुरी– सुविधाओं को मोहताज	अश्विनी कुमार पाण्डे	3
3.	निजी करण की सार्थकता	एस.के. श्रीवास्तव	5
4.	क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं	प्रकाश सोनी	6
5.	सबक	श्रीमती सावत्ती चौरसिया	7
6.	सिल्वर जुबली जश्न है	इनायत अली	8
7.	मांगे लहू, जो कोम,तो बलिदान कीजिए	आफताब अहमद	8
8.	स्वदेश प्रेम	एस. आर. पाण्डे	9
9.	विद्युत मंडल का प्रहरी ..... तकनीकी कर्मी	दिनेश दुबे	11
10.	हार नहीं होती	रामचरण पटेल	12
11.	तकनीकी कर्मचारी संघ की विकास यात्रा	एस. के. मोर्या	13
12.	जीवन रक्षक ओजोन परत	श्रीमती आभा चौरसिया	23
13.	''लक्ष्य न अपना भूलना तुम,	शशि उपाध्याय	25
14.	गुप्त मतदान से मान्यता हो	एस. के. साख्या	26
15.	'' पर्यावरण एवं प्रदूषण''	रमेश शर्मा	27
16.	सांस्कृतिक विविधता ही राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र	अशोक भार्गव	29
17.	''हमारा व्यवहार ही हमारा चाहिए	गिरधारी लाल दुबे	30
18.	''गोल ही गोल''	गिरधारी लाल दुबे	30
19.	बाबुल का घर	जुगल किशोर कोष्टा	31
20.	''तकनीकी कर्मचारियों को मिली संघ से पहचान''	श्यामलाल तिवारी	35
21.	कविता	विजय नामदेव	36
22.	विद्युत मण्डल से कम्पनी करण	नरेश पाठक	37
23.	''तकनीकी महत्त्वता, अध्यात्म से''	इसरायल खान	39
24.	अनचाही संतान	सतीश कुमार दुबे	40
25.	विकास के हर क्षेत्र में नारी का योगदान	दयाशंकर शुक्ला	41
26.	''हित–अनहित न जाना''	रविन्द्र कुमार तिवारी	44
27.	'' संघर्ष ''	दिलीप तोताड़े	44
28.	अनुभव के साथ मनोबल	जी. पी. विश्वकर्मा	45
29.	हम पर न करो क्रूरता	विनय सिंह ठाकुर	46
30.	मंडल की शान है तकनीकी अवाम	के. एन. लोखंडे	47
31.	मृतक कर्मचारी के अश्रितों को देय लाभ	अनूप श्रीवास्तव/ के.बी.एल. चौकसे	49
32.	मेहनत की सूखी रोटी पकवान से अच्छी	दिनेश दुबे	54
33.	म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लमिटेड (प्रमुख उपलब्धियाँ)		
34.	विद्युत उद्योग में सबसे बड़ी तकनीकी कर्मी की भूमिका	हरेन्द्र श्रीवास्तव	56
35.	चिन्तन	जुगल किशोर कोष्टा	56
36.	विद्युत फ्रेंचायजी	मुकेश शुक्ला	57
37.	मंडल में कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं	के. के. तिवारी	59
38.	नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा	हिमांशु कृष्णा लोखंडे	60
39.	हवा में बहती बिजली –मोबाइल चार्जिंग	राजेश डोंगसरे	61
40.	क्रोध की आग को धैर्य से बुझाए	मनोज दुबे	62
41.	गजल	एस. एम. अली	62
42.	बिजली उत्पादन में प्रदेश के बढ़ते कदम	शरद राउत	63
43.	HUMAN RELATIONS	Smt. Megha	65
44.	तकनीकी कर्मचारी की तकनीकी साथी के लिये आवाज	वीरेन्द्र कुमार रोहितास	66

अपनों से अपनी बात

प्रदेश के निर्माण और विकास में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों का भरपूर योगदान रहा है। पूर्व में म.प्र. राज्य विद्युत मंडल में कर्मचारियों को संगठित कर संगठन का नेतृत्व करने वाले नेताओं ने पूर्व में शासन और मंडल प्रशासन से मिलकर खुद का और संगठन का अस्तित्व बना रहे, कर्मचारियों की माँगों को अनदेखा कर खेल खेलते रहे।

अति आवश्यक सेवा देने वाला कर्मचारी जो कि रात हो दिन हो चाहे बरसात हो, त्यौहार हों, और चाहे प्रदेश में कर्फ्यू लगा हो, अपनी आवश्यक सेवा में तत्पर रहा जो कि मंडल का तकनीकी कर्मचारी कहलाता है। उसकी इस सेवा को तकनीकी सेवा या राष्ट्रीय सेवा कहाँ जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। एकता में कर्मचारियों को शामिल कर झंडे उठाने, नारे लगाने में ही इनका उपयोग किया गया, इनकी माँगों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

उपरोक्त नीति को त्यागकर सन् 1982 में राजनीति से हटकर जुझारु साथियों ने नीति को तक कर तकनीकी कर्मसंघ का गठन किया और सोचा कि .....

जिन्दगी का सफर शेष कितना अभी, यह न सोचो कि साथी चलेंगे सभी
नित्य बढ़ो पन्थ पर लक्ष्य रख सामने, प्राप्त होगी सफलता कभी न कभी

और नारा दिया कि..... – **चलों चलें हम सभी वहाँ, तकनीकी हो सभी जहाँ**

अति आवश्यक सेवा कर्मी होने के साथ तकनीकी कर्मचारियों ने संगठन के माध्यम से अपनी कार्यक्षमता और दायित्व सामने रखकर अपने कर्त्तव्य और अधिकार को परिभाषित किया।

म.प्र. विद्युत मंडल में तकनीकी कर्मचारी संघ रुपी पौधा को पुराने साथियों ने रोपा और समस्त तकनीकी कर्मचारियों की एकता ने उसमें पानी खाद डाला, जिससे संगठन रुपी वृक्ष तैयार हुआ, समयानुसार फूल आए और खुशबू पूरे प्रदेश में फैलती ही गई, जिससे कर्मचारियों में जागृति आई और फल लगने पर एकता का रस्वादन भी पाना शुरु कर दिया। पुरजोर तरीके से अपने कार्य के घंटों जोखिम पूर्ण कार्य, प्रकृति के विरुद्ध कार्य, छुट्टियों में असमानता आदि विसंगतियों को दूर करने पुरजोर कोशिश की, इसके बावद् उन्हें समय समय पर शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा स्वामी विवेकानंद की वाणी के अनुसार .....

यदि अधिकार शब्द की विवेचना करे तो इसकी पृष्ठभूमि में संघर्ष की वृति दिखलाई देती है, अधिकार का अर्थ किसी चीज को प्रेम से नहीं किसी शक्ति के माध्यम से प्राप्त करना होता है।

हमारे यहाँ कहावत है ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग।

संघ ने अपने अधिकारों बावद् समय समय पर परस्पर विरोध में समन्वय बनाकर मंथन से नवनीत निकाला आज युवा होकर 25 वे वर्ष में रजत जयंती समारोह मुख्यालय जबलपुर में मना रहे है। । इस पुनीत अवसर पर सभी तकनीकी कर्मचारियों को हृदय से स्वागत है और सभी से अनुरोध भी करता है कि अपने पूर्व गौरवपूर्ण इतिहास के अनुरुप प्रदेश में व्याप्त अंधकार को अपनी कार्य कुशलता के प्रकाश से प्रकाशित कर प्रदेश को विकास के साथ ही म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को विकास की ओर अग्रसर करेंगे।

इस अवसर पर तकनीकी कर्मसंघ की ओर से स्मारिका का प्रकाशन हो रहा है, यह स्मारिका हमारे तकनीकी कर्मचारियों के भीतर छुपी हुई प्रतिभा को लेख रचना संस्मरण कहानी के रुप में प्रकाशित कर रही है,

स्मारिका हेतु आशीष, शुभकामनाएँ, विज्ञापन, लेख, कविता और सुझाव दाताओं एवं सभी पदाधिकारियों सम्मानीय साथियों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि स्मारिका में समाहित की गयी सामग्री निश्चित ही कर्मचारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

हमारी मान्यता है कि रजत जयंती वर्ष 2007 पर प्रकाशित ''स्मारिका'' एक धरोहर सिद्ध होगी, जो भावी तकनीकी पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेगी।

अन्त में उन सभी सहयोगियों के आभारी हैं जिनका कि स्मारिका के प्रकाशन में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग मिला एवं भविष्य में इसी तरह के सहयोग की अपेक्षा करते हैं।

त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए, रजत जयंती वर्ष की सभी को शुभकामनाएँ

– राजेन्द्र मघरिया

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन
भोपाल - 462004

09 अगस्त, 2007

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ, जबलपुर द्वारा संघ के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

विकास की अवधारणा निरंतर श्रम, बेहतर कार्य योजना और समन्वय पर केन्द्रित है। मध्यप्रदेश में बिजली उत्पादन और खपत के बीच जो बड़ा अंतर था, वह विद्युत विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों और सरकार के समन्वित प्रयासों से कम हुआ है तथा हमने किसानों और विद्यार्थियों को इसका अधिक से अधिक लाभ मिले ऐसे प्रयास किये हैं। निरंतर प्रयासों से हम और अधिक बिजली उत्पादन कर अपने लक्ष्य तक पहुँच सकेंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

आशा है स्मारिका में बिजली के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के साथ-साथ विभाग के योग्य अधिकारी-कर्मचारी के विशिष्ट कार्यों को भी स्मारिका के माध्यम से समाज के सामने लाया जायेगा।

शुभकामनाओं सहित।

(शिवराजसिंह चौहान)

डॉ. गौरीशंकर शेजवार
मंत्री
मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा
जैव विविधता तथा जैव प्रौद्योगिकी

DN-II/16, चार इमली, भोपाल
दूरभाष : 2440304

क्रमांक २५७

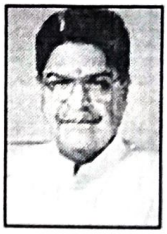

दिनांक 25/09/07

संदेश

यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है की मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा रजत जंयती वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारिका प्रकाशित की जा रही है।

विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में मंडल के कर्मचारियों का मुख्य योगदान होता है एवं विषम परिस्थितियों में प्रदेश की जनता को निबाध आपूर्ति कर सराहनीय कार्य किया है।

मुझे आशा और विश्वास है की आप सभी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य करेगें।

इस मौके पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(डॉ0 गौरीशंकर शेजवार)

मोती कश्यप
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
मछली पालन,
मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

कार्यालय – मिल्क स्कीम के सामने,
शोभापुर रोड, अधारताल, जबलपुर
जबलपुर दूरभाष – 0761–2481531
निवास – डी. –7,74 बंगले
स्वामी दयानंद नगर, भोपाल
भोपाल दूरभाष – 0755 – 2430641
2441287

पत्र क्रमांक .....

दिनांक 19/8/07

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई की मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ का रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 25 वॉ स्थापना दिवस 2 नवम्बर 2007 को मनाया जा रहा है । संघ द्वारा प्रदेश में विद्युत के सुधार एवं विकास में मध्यप्रदेश सरकार एवं प्रशासकीय विद्युत कर्मीयों का योगदान रहा है । संघ द्वारा रजत जंयती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रकाशित होने वाली स्मारिका से समस्त जन मानस में विद्युत सुधार एवं विकास की जानकारी प्राप्त होगी ।

रजत जयंती समारोह के आयोजकों एवं स्मारिका के सम्पादक गणों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाऐं ।

(मोती कश्यप)

हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू'
राज्यमंत्री
वाणिज्यिक कर, किसान कल्याण तथा
कृषि विकास, सहकारिता, सार्वजनिक उपक्रम
मध्यप्रदेश शासन

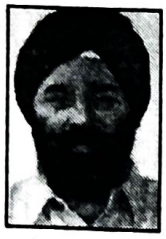

मंत्रालय : कक्ष क्र.-112, वल्लभ भवन, भोपाल
दूरभाष : 0755 - 2441593
निवास : शिरीन मंजिल, कोहेफिजा, भोपाल
दूरभाष : 0755 - 2441425, 2441541
जबलपुर : ए-4, अशोका अपार्टमेंट, मढनमहल,
गुप्तेश्वर रोड, जबलपुर
दूरभाष : 0761 - 4017626 (नि.)
4018626 (का.)
मोबाईल : 094251-52626

आ.शा. पत्र क्रमांक 1103/JBP दिनांक 1/10/07

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष में स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

निश्चित ही इस प्रकाशन से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय, विकास एवं उत्पादन में विद्युत कर्मियों द्वारा किये जा रहे योगदान तथा सरकार की योजनाओं का विस्तृत लाभ मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित।

भवदीय

हरेन्द्रजीत सिंह

(हरेन्द्रजीत सिंह 'बब्बू')

राकेश सिंह
संसद सदस्य
(लोक सभा)
जबलपुर (म.प्र.)

सदस्य :
स्थायी समिति – विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी,
पर्यावरण एवम् वन
परामर्शदात्री समिति – पर्यटन

सत्यमेव जयते

निवास:
69, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
फोन : 011 - 23093530

693, मढ़ाताल, जबलपुर
फोन : 0761 - 2410099

कार्यालय :
1910 ए. राईट टाउन, जबलपुर
फोन : 0761 - 2543225
टेली फैक्स : 0761 - 4017799

क्र / 2021 / संदेश / सां.लो.जबलपुर,

दिनांक : 29.09.2007

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा संघ के **रजत जयंती** वर्ष पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रदेश एवं देश के विकास में विद्युत कर्मियों का योगदान महत्वपूर्ण है। दृढ इच्छाशक्ति एवं ठोस कार्य योजना के माध्यम से तकनीकी कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों से मध्यप्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। मैं कर्मचारियों की सकिय भूमिका की प्रशंसा करता हूं।

स्मारिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी हार्दिक शुभकामनायें।

(राकेश सिंह)

फग्गन सिंह कुलस्ते
संसद सदस्य
(लोक सभा)

सदस्य:
- कोयला और इस्पात संबंधी समिति
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

16, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
दूरभाष: 011-23318998, 2335803
स्थाई पता :
ग्राम जेवरा,
पोस्ट आफिस - देवरीकला (बम्हलिया)
तहसील : निवास, जिला - मंडला
मध्यप्रदेश : 481885
दूरभाष : (07641) 271350
(07642) 254077 (मंडला)
31, बी.ओ/टी., सिविल लाईन,
जवाहर वार्ड, मंडला

शुभकामना संदेश

प्रिय श्री शुक्ला जी,

यह जानकारी अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी "रजत जयंती समारोह" वर्ष स्मारिका का प्रकाशन कर रहा है ।

आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि यह स्मारिका कर्मचारी बंधुओं के लिए "गागर में सागर" साबित होगी ।

स्मारिका प्रकाशन पर संपादक मंडल एवं समस्त कर्मचारी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं ।

आपका ही

(फग्गनसिंह कुलस्ते)

शरद जैन
(एडवोकेट)
विधायक
जबलपुर केन्द्रीय

विधायक विश्राम गृह,
खण्ड 1, कमरा नं. 35/36
फोन 0755-2440677
मोबाईल : 94251 51895

क्रमांक 2007/10/08

दिनांक 08.10.2007

शुभकामना संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष में स्मारिका का प्रकाशन करने जा रहा है।

निश्चित ही इस प्रकाशन से क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय, विकास एवं उत्पादन में विद्युत कर्मियों द्वारा किये जा रहे योगदान तथा सरकार की योजनाओं का विस्तृत लाभ मिलेगा।

शुभकानाओं सहित

भवदीय

(शरद जैन, एड०)

अंचल सोनकर

विधायक
मध्यप्रदेश विधान सभा
जिला जबलपुर (पूर्व क्षेत्र)

क्रमांक 2007/10/08

6, भरतीपुर, जबलपुर
फोन : 0761-2620008
फैक्स : 0761-2490086
नवीन पारिवारिक भवन (अ)-2
भोपाल, विधायक विश्राम गृह
फोन : 0755-2440695
मोबाइल : 94251 56677

दिनांक 29.10.2007

शुभकामना संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। संघ के रजत जयंती वर्ष में संघ को हार्दिक शुभकामना एवं बिजली सुधार कर्मचारियों की समस्याओं के निदान एवं योगदान हेतु ''स्मारिका'' के प्रकाशन की सफलता हेतु संघ को कोटिःश बधाई प्रेषित।

सधन्यवाद सहित शुभकानाओं !

भवदीय

(अंचल सोनकर)

पंकज अग्रवाल, आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवम् प्रबन्ध संचालक
म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित
व
वित्तीय सलाहकार
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

विद्युत ज्योति

म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित
सी.ओ.एफ. ब्लॉक, शक्तिभवन, रामपुर, जबलपुर-482 008 (म.प्र.)

संदेश

यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं । हर्ष का विषय है कि इस अवसर को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है ।

वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का है जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा बेहतर सेवाओं की अपेक्षा की जाती है । विद्युत वितरण व्यवस्था में त्वरित सुधार की हमसे सभी की अपेक्षाएं हैं । विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण कार्यों में तकनीकी कर्मचारियों का योगदान सराहनीय रहा है । तकनीकी कर्मचारियों ने हमेशा ही अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया है । विद्युत के क्षेत्र में अभी काफी संभावनाएं हैं जिनका कियान्वयन किया जाना है ।

आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि तकनीकी कर्मचारी आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु अपना सहयोग पूर्ववत प्रदान करते रहेंगे । मैं रजत जयंती समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं ।

भवदीय

24/x/07

(पंकज अग्रवाल)

P.K. VAISHYA
SECRETARY
पी .के .वैश्य
सचिव

M.P. STATE ELECTRICITY BOARD
SHAKTI BHAWAN, VIDYUT NAGAR
JABALPUR - 482 008 (M.P.)
मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल
शक्ति भवन, विद्युत नगर
जबलपुर - 482 008 (म.प्र.)

दिनांक 11/10/2007

संदेश

मध्यप्रदेश विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ द्वारा, अपनी स्थापना के 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण करने पर हार्दिक बधाई।

म. प्र. विद्युत तकनीकी कर्मचारी संघ सदैव ही मण्डल के तकनीकी कर्मचारियों के गुणात्मक विकास एवं हितों की रक्षा हेतु, प्रयत्नशील रहा है। संघ द्वारा, विभिन्न समस्याओं का वार्तालाप के माध्यम से निराकरण किया जाना, प्रशंसनीय है।

संघ के रजत जयन्ती वर्ष में प्रवेश पर, मैं हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करते हुये आशा करता हूँ कि संघ तथा उसके सदस्य, प्रदेश के उपभोक्ताओं के हित में, शासन की नीतियों के कियान्वयन में, पूर्वानुसार सकिय सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

(पी.के.वैश्य)
सचिव
मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल

संतोष तिवारी
कार्यपालक निदेशक (कार्मिक)
म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल

फोन : (O) 91 - 0761 - 2660361, 2667722
2660371, 2702022
(R) 91 - 0761 - 2662727, 2702727
फैक्स : (O) 91 - 0761 - 2661696
निवास : 31 "परिश्रम", नयागाँव हाऊसिंग सोसायटी
रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) - 482008

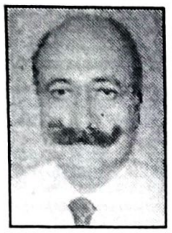

शुभकामना संदेश

यह जानकार हार्दिक प्रसन्नता हुई कि **मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ 2 नवम्बर 2007** को अपनी स्थापना की रजत जयंती का आयोजन कर रहा है। प्रदेश में बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में तकनीकी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

रजत जयंती के अवसर पर *प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास में प्रदेश सरकार और विद्युत कर्मियों के योगदान* विषय पर प्रकाशित होने स्मारिका निःसंदेह उपयोगी और जानकारीपरक रहेगी।

रजत जयंती आयोजन और स्मारिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

(संतोष तिवारी)

Lal S. S. I.P.S.
Inspector General of Police

कमांक/01–10/पीएस/ 656 दिनांक 10–10–2007

शुभकामना संदेश

प्रिय दयाशकर,

मुझे यह जानकर अत्याधिक प्रसन्नता हो रही है कि म.प्र.विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ व्दारा अपना 25वां स्थापना दिवस **2 नवम्बर 2007** रजत ज्यंति वर्ष के रुप में मनाने जा रहा है तथा इस उपलक्ष्य में विद्युत सुधार एवं विकास के विषय पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी करेगा।

इस कार्यकम के सफल आयोजन हेतु आपको बहुत–बहुत शुभकामनाऐं। आशा है उपरोक्त स्मारिका अत्यंत उपयोगी रहेगी।

सभार

(एस.एस.लाल)भा.पु.से.
पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(सतर्कता–सुरक्षा)
म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल,जबलपुर

R.K. VERMA
Chairman & Managing Director
M.P. Power Transmission Co. Ltd.
&
Ex-officio Member (Transmission - ADB Proj.)
Madhya Pradesh State Electricity Board

M.P. POWER TRANSMISSION CO. LTD.
SHAKTI BHAWAN, VIDYUT NAGAR
JABALPUR - 482 008 (M.P.) INDIA

शुभकामना संदेश

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि 'मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ' अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण कर रहा है व इस अवसर पर **'प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास में प्रदेश सरकार एवं विद्युत कर्मियों के योगदान'** विषय पर एक स्मारिका का प्रकाशन भी कर रहा है। 'मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ' को मैं इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

किसी भी उद्योग की उन्नति में उसमें कार्यरत कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा संस्थान एक तकनीकी संस्थान होने के कारण इसके विकास एवं प्रगति में तकनीकी कर्मचारियों की प्रत्यक्ष सहभागिता है।

'मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ' के ''रजत जयंती वर्ष'' के इस अवसर पर मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि 'तकनीकी कर्मचारी संघ' पूर्व के वर्षों की भांति भविष्य में भी विद्युत मण्डल एवं इसकी उत्तरवर्ती कंपनियों के कार्यों में सकारात्मक सहयोग प्रदान करते हुए अपने महत्वपूर्ण दायित्वों का सफल निर्वहन करता रहेगा ।

(रमेश कुमार वर्मा)

इंजी.डी.एन.प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
पदेन सदस्य (उत्पादन)
म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल

म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
शक्ति भवन, जबलपुर - 482 008 (म.प्र.)

"संदेश"

मुझे यह जानकर अत्याधिक प्रसन्नता है कि म.प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ के 25वें स्थापना दिवस दिनांक 2 नवम्बर 2007 रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विद्युत सुधार एवं विकास में *प्रदेश सरकार एवं विद्युत कर्मियों के योगदान* विषय पर स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु विद्युत उत्पादन एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हेतु तकनीकी कर्मचारियों की अत्याधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे विश्वास है कि आप सभी की कर्तव्यनिष्ठा, लगन एवं दृढ़ संकल्प से प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में नये मापदण्ड स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी।

स्मारिका के प्रकाशन हेतु मेरी असीम शुभकामनायें।

ध्रुव नारायण प्रसाद
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक.

कार्यालय अध्यक्ष एवं प्रबंध संचालक,
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. भोपाल

कमांकःअप्रसं/मक्षे/वाणिज्य/07/ भोपाल, दिनांक 29-09-07

"शुभकामना सन्देश"

प्रिय श्री शुक्ला,

हर्ष का विषय है कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ रजत जयन्ती वर्ष में प्रवेश कर दिनांक **2 नवम्बर 2007** को अपना 25वॉ स्थापना दिवस मना रहा है। यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इस शुभ अवसर पर संघ व्दारा "प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास में प्रदेश सरकार एवं विद्युत कर्मियों के योगदान" विषय पर एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है।

आशा है विद्युत कर्मियों सहित प्रदेश की आम जनता के लिये भी उक्त स्मारिका अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी।

कृपया स्मारिका की सफलता हेतु मेरी ओर से शुभकामनाएँ स्वीकारें।

शुभकामनाओं सहित,

आपका

(संजय कुमार शुक्ल)

अध्यक्ष की कलम से .....

- तकनीकी कर्मचारी संघ सबसे सशक्त संगठन है -

तकनीकी कर्मचारी संघ का गठन सन् 1982 में हुआ। जब यहाँ संगठन का गठन हुआ तब शायद किसी ने न सोचा होगा कि चार लोगों का प्रयास आज़ इतना व्यापक होगा कि मंडल में विद्यमान अनेक कर्मचारी संगठनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा वरन् अपना स्थान अव्वल रखेगा। पूरे प्रदेश में इसकी शाखायें कार्यरत है, कम समय के नोटिस में भी बड़ी संख्या में एकत्र होने की अदभुत क्षमता है। यह संगठन ऐसे कर्मचारियों का है जो पहले मण्डल का कार्य करता है, बाद में संगठन का, इस वर्ग के लिये मंडल का कार्य प्रमुख होता है।

एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ एक बार गेटमीटिंग का आयोजन किया जिसमें बड़ी संख्या में जबलपुर के बाहर से प्रतिनिध आये थे। लेकिन जबलपुर में तेज आँधी–तूफान के कारण लाइनों के तार टूट गए यह समाचार जब गेट मिटिंग में हमारे मैदानी जाबाजों को मिला तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से मुझसे का, ''साहब हमारे ऐरिया के एल.टी. के तार टूट गये हैं जिससे पूरे क्षेत्र में विद्युत प्रदाय अवरूद्ध हो गया है, मुझे अपने काम पर जाने की अनुमति प्रदान करें।'' मैं उनके इस भाव से अत्यंत प्रभावित हुआ कि इन कर्मचारियों की डियूटी समाप्त हो गई है, अब दूसरे की पारी है, परन्तु इसकी परवाह किये बगैर उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया। धन्य है जिन्हें अपने संगठन के साथ ही साथ अपने काम की चिंता भी रहती है।

यद्यपि संगठनों में अंतर कलह भी हुआ करती है ऐसा आमतौर पर देखने /सुनने को मिलता है लेकिन मुझे इस संगठन में यह अनुभव मिला कि कभी भी किसी भी सदस्य ने एक दूसरे की शिकायत मेरे से नहीं की। यह संगठन स्वतंत्र रुप से कार्य कर रहा है, किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक/सामाजिक संगठन से संबंध नहीं है। अपने ही बल पर इसने अनेक सफलतायें अर्जित की है। यह निः संदेह ही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। आज यह बात सर्वविदित और प्रमाणित हो चुकी है, कि तकनीकी कर्मचारी संघ सबसे सशक्त, और मजबूत संगठन है जिसका पूरे प्रदेश का नेतृत्व मुझे मिला है। यह संगठन नित नई कामयाबी का इतिहास रचे। रजत जयंती पर प्रकाशित स्मारिका प्रत्येक तकनीकी कर्मचारियों तक अपना संदेश पहुँचाने में सहायक होगी ऐसा मेरा मानना है।

इन्हीं शुभकामनाओं के सहित

प्रदेश अध्यक्ष
इंजी.पी. एस. यादव
पूर्व कार्यपालक निर्देशक
म. प्र. वि. मंडल, जबलपुर

शुभकामना संदेश

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि तकनीकी कर्मचारी संघ 2 नवंबर को अपना रजत जयंती स्थापना समारोह मना रहा है। आज विकास का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है, विकास की अवधारणा के फलीभूत होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऊर्जा क्षेत्र की है। भारत जैसे देश में जहॉ प्राकृतिक गैस व खनिज तेल की उपलब्धता आवश्यकता से बहुत कम है वहॉ विद्युत ही एक मात्र विकल्प है।

जिस तरह से विकास के लिए बिजली का विकल्प नहीं है वैसे ही बिजली क्षेत्र में कार्यरत वि ोशज्ञ तकनीकी कर्मियों का भी कोई विकंल्प नहीं है। म. प्र. जैसे प्रदेश में जहॉ उद्योगों के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन भी हैं और सीमांत कृषक भी, वहॉ सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए। आज जिन परिस्थितियों में तकनीकी कर्मी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं वह उत्कृट समर्पण के बिना संभव नहीं है। इसके लिए निश्चित रूप से वे सम्मान के हकदार हैं।

दीप पर्व के पूर्व, इस रजत जयंती समारोह के अवसर पर अभियंता संघ की ओर से यही संकल्प और शुभकामना है कि विद्युत व्यवस्था से जुड़े सभी अंग बिजली व्यवस्था और बिजली कर्मियों के 90 के दशक के गर्वयुक्त क्षणों को पुनः साकार करें –

"असतो मा सद्गमय,
तमसो मा ज्योर्तिगमय,
मृत्यो मा अमृतोगमय"

विनय पाण्डेय
महासचिव

म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ

के रजत जयंती समारोह पर हार्दिक शुभकामनाएँ

साजिद उल्ला खान

एडवोकेट

मं. प्र. हाई कोर्ट

गाजीमियाँ दरगाह के पास, गाजीनगर, मेनरोड, गोहलपुर, जबलपुर (म. प्र.)

मो. : 9826114255

तकनीकी कर्मचारी विद्युत मण्डल की रीढ़ हैं

.....दयाशंकर शुक्ला

तकनीक के बिना किसी भी कार्य का संपादन ठीक ढ़ंग से नहीं किया जा सकता है, यह सर्वविदित है, तकनीकी ज्ञान की उपयोगिता अनादीकाल से प्रयोग में लाई जा रही है, शास्त्रों के अनुसार देवताओं को तकनीकी कार्य के लिये भगवान विश्वकर्मा को याद किया जाता रहा है, यही वजह है कि समस्त तकनीकी संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन अर्चन होता है, या हम यों कहें कि भगवान विश्वकर्मा तकनीकी ज्ञान के अधिष्ठाता है।

किसी भी आद्यौगिक संस्थान की सफलता उसके, कुशल प्रबंधन के साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल भी एक औद्योगिक संस्थान है, इसका काम विद्युत उत्पादन कर उसका वितरण करना। हमारे घरों, खेतों व औद्योगिक संस्थानों को बिजली मिलती है, वह कई चरणों को पूरा करने के उपरान्त मिल पाती। मध्यप्रदेश विद्युत विद्युत मण्डल में बिजली का उत्पादन मुख्यतः ताप, जल, एवं पवन से किया जाता है। विद्युत उत्पादन केन्द्रों में जनरेटरों से 11 के व्ही/220 के.व्ही. में बदलकर टावर लाईनों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उपकेन्द्रों भेज कर पुनः उनका पारेषण एवं वितरण किया जाता है। यह कार्य विशेष तकनीकी ज्ञान के बगैर संभव नहीं है जो इस कार्य को करते है वे तकनीकी कर्मचारी कहलाते हैं। विद्युत मण्डल में आज वही तकनीकी कर्मचारी उपेक्षित हो रहा है।

म.प्र. विद्युत मण्डल में तकनीकी कर्मचारियों की उपयोगिता :- म.प्र. वि. मण्डल स्वयं एक बहुत बड़ा तकनीकी पूर्व बिजली उत्पादन करने वाला औद्योगिक संस्थान है। इसका मुख्य कार्य विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण है। इसका उत्पादन विभाग बिजली का उत्पादन कर पोरषण विभाग द्वारा विद्युत उपकेन्द्रों में पहुँचाई जाती है उपकेन्द्रों के द्वारा 33 के.व्ही लाईनें 33/11 के.व्हीं. उपकेन्द्रों में भेजकर ट्रांसफारमर से 11 के. व्हीं./ 400 वोल्ट के विभिन्न क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाकर उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय किया जाता है। यह सारा का सारा कार्य, कुशल इंजिनियर्स के देखरेख आपरेटरों की मदद व लाईन कर्मचारियों के सहयोग से संपादित किया जाता है, यही वजह है कि इसमें तकनीकी कर्मचारियों का विशेष महत्व है।

तकनीकी कर्मचारी विषम परिस्थितियों में काम करते हैं :- तकनीकी कर्मचारी विषम परिस्थिति में कार्य करते हैं। इनके काम में मौसम भी रुकावट नहीं कर पाता है तकनीकी कर्मचारी भीषण गर्मी हो, या हृदय को कपकपा देने वाली ठंडी हो, या तेज बारिश हो सभी मौसमों में समान रुप से कार्य करते है। लाईन पर काम करने वाला कर्मचारी कभी मौसम की परवाह नहीं करता है, यदि लाईन फाल्ट हो जाये तो दिन हो अथवा रात को ही पेट्रोलिंग कर लाईन में खराबी के सुधार कर विद्युत प्रदाय बहाल कर के ही दम लेता है।

उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण तत्काल किया जाता है बारिश, अथवा तूफान में अधिकतम खम्भें टूट जातें है तार टूट जाते है विद्युत प्रदाय अवरुद्ध हो जाता है ऐसी दशा में लाईन कर्मचारी रात-रात भर काम करके विद्युत

व्यवस्था को बहाल करता है उसके इस काम में मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है।

कार्य के घण्टे अधिक अवकाश की पात्रता नहीं :– म.प्र. वि. मण्डल में दो प्रकार के कर्मचारी अधिकारी काम करते है – एक तो कार्यालय में बैठकर कार्य करते है जो प्रशासनिक कार्य के श्रेणी में आते हैं, जिसका कार्य करने का समय छ घण्टे का होता है जिन्हें साप्ताहिक अवकाश के अलावा अन्य अवकरणों की भी पात्रता होती है।

दूसरा और वह कर्मचारी जो फील्ड में काम करता है, अथवा उत्पादन इकाई में काम करने वाला हो, या फिर पारेषण में काम करने वाला कर्मचारी हो अथवा आपेरेटर हो या लाईन पर काम करन वाला मैदानी कर्मचारी हो, इनकी डियूटी 8 घण्टे की होती है इन्हें साप्ताहिक अवकाश के अलावा अन्य उपकरणों की पात्रता नहीं होती है कई बार ऐसे अवसर आते है कि उन्हें साप्ताहिक अवकाश से भी हाथ धोना पड़ जाता है। तकनीकी कर्मचारी 2 घण्टे अधिक कार्य करते हैं इसके एवज में उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलता है न ही अलग से कोई अन्य सुविधा ही प्राप्त होती है। फिर भी तकनीकी कर्मचारी अपना काम बड़ी मेहनत व निष्ठा से करते हैं।

तकनीकी कर्मचारी जोखिम भरा काम करते हैं :– विद्युत मण्डल में विशेषकर वितरण में काम करने वाले तकनीकी कर्मचारी का काम बड़ा जोखिम का होता है ये कर्मचारी न केवल लाईनों के रखरखाव का कार्य करते है वरन् उपभोक्ता की शिकायत का भी निराकरण करते हैं, एल.टी. लाईन में चालू लाईन पर अधिकतर काम किया जाता है कर्मचारी द्वारा सारी सावधानियाँ अपनाने के बाद भी अथवा थोड़ी सी चूक होने पर दुर्घटना हो जाती है, और कर्मचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है, या फिर वह अपंग हो जाता है। लाईन पर काम करना निश्चित रूप से जोखिम भरा होता है, कमचारियों की कमी की वजह से अनेकों क्षेत्रों में अकेले ही कर्मचारी को लाईन पर कार्य करना पड़ता है। विद्युत मण्डल द्वारा जोखिम भत्ता 150/– दिया जाता है। फिर भी लाईन कर्मचारी अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है जोखिम तो उसकी नौकरी में हर पग पर होता है।

तकनीकी कर्मचारी दोहरे दबाव में काम करते है :– म. प्र. विद्युत मण्डल में, हो रहे लगातार रिटायरमेंट के कारण कर्मचारियों (लाईन) की संख्या तेजी से घट रही है, परन्तु उतनी ही तेजी के साथ उपभोक्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन नई भर्ती न होने के कारण कम कर्मचारियों की बजह से काम का भार अधिक बढ़ गया है, उपभोक्ताओं के बढ़ने के कारण उनकी शिकायतें भी अधिक होती है, जिनका निराकरण समय पर न होने के कारण न केवल उपभोक्ता नाराज होता है बल्कि, अधिकारियों का भी कोप माजन तकनीकी कर्मचारियों को बनाना पड़ता है यही दबाव लाईन में काम करते वक्त, कर्मचारियों की दुर्घटना का कारण बन जाता है। क्योंकि चाहे विद्युत प्रदाय अवरुद्ध कि शिकायत हो अथवा, तार टूटने या विद्युत से संबंधित अन्य शिकायत हो, इन सभी के समय पर हल करने की जिम्मेदारी लाइन कर्मचारी की मानी जाती है, शिकायत समय पर हल न होने के कारण उपभोक्ता एवं अधिकारी की बातें सुनना पड़ती है। वर्तमान समय में लाइन कर्मचारी दोहरे दबाव में काम करने को बाध्य है।

.....दयाशंकर शुक्ला

विकास की धुरी- सुविधाओं को मोहताज

" वक्त लिखेगा कहानी उस मजमून की
जिसकी सुर्खी को जरुरत है तुम्हारे खून की"

हमारे पूर्व राष्ट्रपति मिसाईलमेन महामहिम डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साहब ने देश को एक सपना दिया है। सन् 2020 तक भारत को विकसित देश बनाने का। हम मध्यप्रदेशवासियों का भी यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इस सपने को पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता से सहयोग करें। इसके लिए जो सबसे अहम चीज है वह है बिजली या ऊर्जा। निः संदेह किसी भी देश की प्रगति एवं सकल घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कम्प्यूटर, कल-कारखानों से लेकर खेंतो तक ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होती है। और इस ऊर्जा के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में ऊर्जा विभाग का तकनीकी कर्मचारी धुरी या रीढ़ की भूमिका निभाता है। तकनीकी कर्मचारी का नाम आते ही मन मस्तिष्क पर ऐसे कर्मचारी की छबि बनती है जो हमेंशा ही अपनी जान की परवाह किए बिना विपरीत मौसम एवं परिस्थितियों में सीमित या अल्प संसाधनों से अपने कार्य को संपादित करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्य में जरा सी चूक का परिणाम भी तुरंत (दुर्घटना) ही मिलती है। इनके कार्य की प्रकृति ही ऐसी है जिसमें गलत स्टेटमेंट को फाड़कर दूसरा बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। यह तकनीकी कर्मचारियों की सेवा, लगन, विवेक एवं समर्पण का ही प्रतिफल है कि दिन-ब-दिन बढ़ते उपभोक्ता, बढ़ते उपकेन्द्र एवं पारेषण लाईनों की लंबाई तकनीकी कर्मचारियों की घटती संख्या के बाद भी मण्डल की धमनियों में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर गतिमान है।

किन्तु दुर्भाग्य का विषय हे कि मण्डल अपने कार्यालयों का स्तर उठाने के लिए पंखे कूलर वाटर प्यूरिफायर, क्राकरी, बढ़िया फर्नीचर, पर्दे गाड़ियों आदि पर तो बेहिसाब खर्च कर रहा है किन्तु घोर आश्चर्य का विषय है कि जिन कर्मचारियों पर निरंतर विद्युत प्रदाय सुचारु रखने की जवाबदारी है एवं जिनके कार्य से रेवेन्यू बढ़ता है, जिनके कार्य के घण्टे अधिक है अवकाश की असमानता है एवं प्रत्येक दिन का कार्य जोखिम भरा है उसकी सुख-सुविधाओं पर किसी भी नीति -नियंता का ध्यान ही नहीं जाता है। जब तकनीकी कर्मचारी अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रहता है और वह देखता है कि उसके साथ सौतेले या दोयम दजे का व्यवहार हो रहा है तो वह कुंठित होता है। और इसका प्रभाव कर्मचारी के कार्य, परिवार और अंततः मण्डल पर भी पड़ता हे। अकेले इंदौर क्षेत्र में विभिन्न दुर्घटनाओं में वर्ष 2007 में सितम्बर माह तक- कर्मचारी हमसे बिछुड़ चुके है।

वैश्वी करण एवं मैनेजमेंट के इस युग में आशा है मण्डल के नीति निर्धारित मण्डल की रीढ़ इन कर्मचारियों की मूलभूत एवं अतिआवश्यक सुविधाओं के बारे में निर्णय लेगे, जब कर्मचारी यह महसूस करेगा कि मैनेजमेंट को उसकी एवं उसके परिवार की चिन्ता है तब वह दुगने उत्साह से कार्य करेगा। जिसका लाभ मण्डल को ही होगा।

तकनीकी कर्मचारियों की इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए 25 वर्ष पूर्व जिस तकनीकी कर्मचारी संघ का गठन हुआ वह संगठन आज भाई श्री शंभूनाथ सिंग एवं भाई श्री एस.के. मौर्या जैसे जुझारु ऊर्जावान एवं सक्षम नेतृत्व में कर्मचारियों को संगठित करने एवं उनको श्रम का उचित हक दिलवाने हेतु मण्डल के सामने अपनें भागीरथी प्रयासों से लगे हुए है। यह गर्व की बात है कि संगठन भाई श्री शंभूनाथ सिंग एवं भाई एस. के. मार्या जैसे सक्षम नेतृत्वकर्ताओं की टीम में अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। **बधाई**

तकनीकी कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों को बहुत करीब से महसूस केरते हुए इंदौर शहर में श्रद्धेय भाई श्रीराम समुझ यादव ने अपने कुछ अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से तकनीकी कर्मचारी सहकारी साख संस्था का गठन किया था जो आज इन कर्मचारियों के हर सुख-दुःख में 24 घण्टे मदद हेतु तत्पपर रहती है। पूर्ण पारदर्शिता एवं सदस्यों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार की ऐसी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती है।

तकनीकी कर्मचारियों के इस संगठन को और अधिक सक्षम एवं मजबूत बनाने हेतु परीक्षण क्षेत्र इंदौर के सैकड़ों कर्मचारी भाई श्री रामकृष्ण के नेतृत्व में इस संगठन की सदस्यता ग्रहण कर चुके है।

आईये हम एक बार पुनः संकल्प ले कि संगठन की शक्ति को बढ़ाते हुए अपने वाजिब हकों के लिए अपने नेतृत्वकर्ताओं को ऊर्जावान बनाये रखेंगे। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई।

''ऐ मजदूर जोर-ए-बाजू आजमा शिकवा न कर सैय्याद से
और आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से
मैं तो कहता हूँ दोस्तों दुख दूर नहीं होगें शक्लें मजलूमियत बनाने में
मिटा दे एहसास-ए-कमजोरी वरना मिट जाएगा तू जमाने से ''

''अश्विनी कुमार पाण्डे''
अतिरिक्त परीक्षण पर्यवेक्षक - 2
400 के. व्ही. उपकेन्द्र म. प्र. पारे. नि. लि. इंदौर
मो. 99772-83265

संजय दुबे
कार्यकारिणी सदस्य मण्डला

- रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनायें -

विद्युत मण्डल में कर्मचारियों की सर्वप्रथम पंजीकृत संस्था
जबलपुर विद्युत मण्डल कर्मचारी सहकारी समिति मर्यादित

विगत 48 वर्षों से विद्युत मण्डल कर्मचारियों में परस्पर आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त श्रम और सहकारिता के समन्वय से सुसंस्कृत समाज के सृजन में प्रयत्नशील, म.प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ के रजत जयन्ती समारोह की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाऐं।

रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनायें
K. K. Polymers
थोक व्यापारी पी.व्ही.सी. आदि
32, Industrial Area,
Guna (M. P.) 473 001
Ph. : 22406,227406 (F) 22804, 22504 (R)

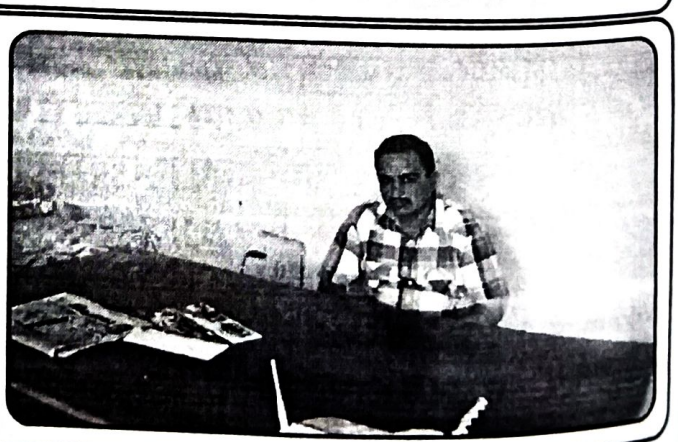

निजी करण की सार्थकता

किसी समय विद्युत विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। छोटी- छोटी कंपनियों के द्वारा बडे-बडे राजा महाराजाओं, नगर सेठों एवं जागीरदारों जैसे पैसे वाले लोगों तक ही इसका उपयोग सीमित था। जैसे - जैसे इसकी उपयोगिता एवं महत्ता बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा। आज स्थिति यह है कि विद्युत मूलभूत आवश्यकताओं में एक है। इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि किसी भी देश का विकास चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उत्पादन का हो या कोई अन्य सभी में महत्ती भूमिका है। व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की ही प्रगति इस पर निर्भर है, इसके बिना किसी भी राष्ट्र का विकास कोरी कल्पना मात्र है।

इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत मंडलों का गठन किया जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांवों, उद्योगों, घरों एवं किसानों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती विद्युत उपलब्ध कराना था। समय के साथ-साथ मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाते हुए सभी को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चत करने का लक्ष्य निरंतर बढ़ता ही गया। सभी वर्गों का आपूर्ति संभव हो इस हेतु विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं को शुल्क में छूट देना आरंभ कर दिया गया। फलस्वरुप विद्युत मंडलों की स्थिति भी कहीं कम या ज्यादा किसी से छिपी नहीं है। कारण चाहे मंडल की कार्यप्रणाली, विद्युत चोरी या राजनैतिक हस्तक्षेप जो कुछ भी हो पर वास्तविकता यहीं है।

इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि इनके द्वारा कुछ किया ही नहीं गया। मंडल प्रबंधन, अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरुप ही हम आज इस स्थिति में पहुँच सके हैं। निरन्तर बढ़ती मांग और उत्पादन के अंतर को कम करने का लक्ष्य इतना आसान नहीं है। पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र ताप विद्युत व जल विद्युत के साथ-साथ आज परमाणविक उर्जा की भी बात होने लगी है परन्तु इसमें अधिक जोखिम है।

क्योंकि उर्जा उत्पादन में विशाल पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि न तो मंडल उपलब्ध करा पा रहा था और न ही सरकार। इन परिस्थितियों में निजीकरण ही एक मात्र विकल्प शेष बचता है, जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार ने विद्युत सुधार विधेयक बनाया। इसमें मंडलों के स्थान पर तीन स्वतंत्र कंपनियाँ उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बनाई गई एवं इन पर अंकुश लगाने अथवा मनमानी न कर पांए, इस हेतु नियामक आयोग का भी गठन हुआ। इसका उद्देश्य उचित मार्गदर्शन एवं निर्णय द्वारा इनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करना है। साथ-साथ उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी शनै-शनै खत्म करने जैसा कठोर कदम भी उठाया। विद्युत चोरी रोकने हेतु कठोर नियम बनाये गये। उत्पादन के क्षेत्र में आज अनेकों निजी कंपनियाँ राज्यों में सीधे पूँजी निवेश कर रही हैं जिसके परिणाम अगले कुछ वर्षों में दिखने लगेगें। विद्युत कंपनियों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होने लगी है व प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, फलस्वरूप गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दूसरी तरफ बिजली के दामों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तो इनका भार सहन कर ही रहा है, ऐसा न हो कि सर्वहारा वर्ग इसका उपयोग करने से वंचित होने लगे या यूं कहिए कि इनका भार भी अन्य उपभोक्ताओं पर आ जाये। हमारे उद्योग धंधे, कल कारखाने इसके चलते बंद होने लगें। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण एवं प्रगति पर विपरीत असर पड़ेगा।

यह निजीकरण कितना सार्थक है, यह तो भविष्य के गर्भ में है कहीं ऐसा न हो कि हम फिर वहीं पर आ जावें जहां से चले थे क्योंकि इसकी दर इतनी न बढ़ जाए कि पुनः विलासिता की वस्तु बन जाये।

- एस. के श्रीवास्तव
भोपाल

निजी करण की सार्थकता

किसी समय विद्युत विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। छोटी- छोटी कंपनियों के द्वारा बडे-बडे राजा महाराजाओं, नगर सेठों एवं जागीरदारों जैसे पैसे वाले लोगों तक ही इसका उपयोग सीमित था। जैसे - जैसे इसकी उपयोगिता एवं महत्ता बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा। आज स्थिति यह है कि विद्युत मूलभूत आवश्यकताओं में एक है। इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि किसी भी देश का विकास चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उत्पादन का हो या कोई अन्य सभी में महत्ती भूमिका है। व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की ही प्रगति इस पर निर्भर है, इसके बिना किसी भी राष्ट्र का विकास कोरी कल्पना मात्र है।

इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत मंडलों का गठन किया जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांवों, उद्योगों, घरों एवं किसानों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती विद्युत उपलब्ध कराना था। समय के साथ-साथ मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाते हुए सभी को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चत करने का लक्ष्य निरंतर बढ़ता ही गया। सभी वर्गों का आपूर्ति संभव हो इस हेतु विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं को शुल्क में छूट देना आरंभ कर दिया गया। फलस्वरुप विद्युत मंडलों की स्थिति भी कहीं कम या ज्यादा किसी से छिपी नहीं है। कारण चाहे मंडल की कार्यप्रणाली, विद्युत चोरी या राजनैतिक हस्तक्षेप जो कुछ भी हो पर वास्तविकता यहीं है।

इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि इनके द्वारा कुछ किया ही नहीं गया। मंडल प्रबंधन, अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरुप ही हम आज इस स्थिति में पहुँच सके हैं। निरन्तर बढ़ती मांग और उत्पादन के अंतर को कम करने का लक्ष्य इतना आसान नहीं है। पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र ताप विद्युत व जल विद्युत के साथ-साथ आज परमाणविक उर्जा की भी बात होने लगी है परन्तु इसमें अधिक जोखिम है।

क्योंकि उर्जा उत्पादन में विशाल पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि न तो मंडल उपलब्ध करा पा रहा था और न ही सरकार। इन परिस्थितियों में निजीकरण ही एक मात्र विकल्प शेष बचता है, जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार ने विद्युत सुधार विधेयक बनाया। इसमें मंडलों के स्थान पर तीन स्वतंत्र कंपनियाँ उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बनाई गई एवं इन पर अंकुश लगाने अथवा मनमानी न कर पांए, इस हेतु नियामक आयोग का भी गठन हुआ। इसका उद्देश्य उचित मार्गदर्शन एवं निर्णय द्वारा इनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करना है। साथ-साथ उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी शनै-शनै खत्म करने जैसा कठोर कदम भी उठाया। विद्युत चोरी रोकने हेतु कठोर नियम बनाये गये। उत्पादन के क्षेत्र में आज अनेकों निजी कंपनियाँ राज्यों में सीधे पूँजी निवेश कर रही हैं जिसके परिणाम अगले कुछ वर्षों में दिखने लगेगें। विद्युत कंपनियों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होने लगी है व प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, फलस्वरुप गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दूसरी तरफ बिजली के दामों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तो इनका भार सहन कर ही रहा है, ऐसा न हो कि सर्वहारा वर्ग इसका उपयोग करने से वंचित होने लगे या यूं कहिए कि इनका भार भी अन्य उपभोक्ताओं पर आ जाये। हमारे उद्योग धंधे, कल कारखाने इसके चलते बंद होने लगें। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रुप से राष्ट्र के निर्माण एवं प्रगति पर विपरीत असर पड़ेगा।

यह निजीकरण कितना सार्थक है, यह तो भविष्य के गर्भ में है कहीं ऐसा न हो कि हम फिर वहीं पर आ जावें जहां से चले थे क्योंकि इसकी दर इतनी न बढ़ जाए कि पुनः विलासिता की वस्तु बन जाये।

- एस. के श्रीवास्तव
भोपाल

निजी करण की सार्थकता

किसी समय विद्युत विलासिता की वस्तु मानी जाती थी। छोटी- छोटी कंपनियों के द्वारा बड़े-बड़े राजा महाराजाओं, नगर सेठों एवं जागीरदारों जैसे पैसे वाले लोगों तक ही इसका उपयोग सीमित था। जैसे - जैसे इसकी उपयोगिता एवं महत्ता बढ़ने लगी, विस्तार होने लगा। आज स्थिति यह है कि विद्युत मूलभूत आवश्यकताओं में एक है। इसकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि किसी भी देश का विकास चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उत्पादन का हो या कोई अन्य सभी में महत्ती भूमिका है। व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की ही प्रगति इस पर निर्भर है, इसके बिना किसी भी राष्ट्र का विकास कोरी कल्पना मात्र है।

इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राज्य विद्युत मंडलों का गठन किया जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांवों, उद्योगों, घरों एवं किसानों को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती विद्युत उपलब्ध कराना था। समय के साथ-साथ मांग और आपूर्ति का संतुलन बनाते हुए सभी को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चत करने का लक्ष्य निरंतर बढ़ता ही गया। सभी वर्गों का आपूर्ति संभव हो इस हेतु विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं को शुल्क में छूट देना आरंभ कर दिया गया। फलस्वरूप विद्युत मंडलों की स्थिति भी कहीं कम या ज्यादा किसी से छिपी नहीं है। कारण चाहे मंडल की कार्यप्रणाली, विद्युत चोरी या राजनैतिक हस्तक्षेप जो कुछ भी हो पर वास्तविकता यहीं है।

इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि इनके द्वारा कुछ किया ही नहीं गया। मंडल प्रबंधन, अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरुप ही हम आज इस स्थिति में पहुँच सके हैं। निरन्तर बढ़ती मांग और उत्पादन के अंतर को कम करने का लक्ष्य इतना आसान नहीं है। पारंपरिक उत्पादन क्षेत्र ताप विद्युत व जल विद्युत के साथ-साथ आज परमाणविक उर्जा की भी बात होने लगी है परन्तु इसमें अधिक जोखिम है।

क्योंकि उर्जा उत्पादन में विशाल पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है, जो कि न तो मंडल उपलब्ध करा पा रहा था और न ही सरकार। इन परिस्थितियों में निजीकरण ही एक मात्र विकल्प शेष बचता है, जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाया जा सकता है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार ने विद्युत सुधार विधेयक बनाया। इसमें मंडलों के स्थान पर तीन स्वतंत्र कंपनियाँ उत्पादन, पारेषण एवं वितरण बनाई गई एवं इन पर अंकुश लगाने अथवा मनमानी न कर पांए, इस हेतु नियामक आयोग का भी गठन हुआ। इसका उद्देश्य उचित मार्गदर्शन एवं निर्णय द्वारा इनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करना है। साथ-साथ उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी शनै-शनै खत्म करने जैसा कठोर कदम भी उठाया। विद्युत चोरी रोकने हेतु कठोर नियम बनाये गये। उत्पादन के क्षेत्र में आज अनेकों निजी कंपनियाँ राज्यों में सीधे पूँजी निवेश कर रही हैं जिसके परिणाम अगले कुछ वर्षों में दिखने लगेगें। विद्युत कंपनियों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होने लगी है व प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, फलस्वरुप गुणवत्ता में सुधार हुआ है। दूसरी तरफ बिजली के दामों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तो इनका भार सहन कर ही रहा है, ऐसा न हो कि सर्वहारा वर्ग इसका उपयोग करने से वंचित होने लगे या यूं कहिए कि इनका भार भी अन्य उपभोक्ताओं पर आ जाये। हमारे उद्योग धंधे, कल कारखाने इसके चलते बंद होने लगें। यदि ऐसा हुआ तो निश्चित रुप से राष्ट्र के निर्माण एवं प्रगति पर विपरीत असर पड़ेगा।

यह निजीकरण कितना सार्थक है, यह तो भविष्य के गर्भ में है कहीं ऐसा न हो कि हम फिर वहीं पर आ जावें जहां से चले थे क्योंकि इसकी दर इतनी न बढ़ जाए कि पुनः विलासिता की वस्तु बन जाये।

- एस. के श्रीवास्तव
भोपाल

क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं.....

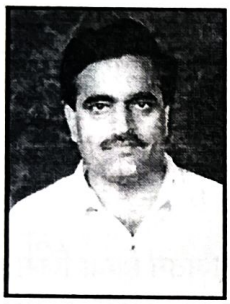

पच्चीसवीं वर्षगांठ यानि रजत जयंती वर्षगांठ और वह भी किसी ऐसे कर्मचारी संगठन की जिसका उदय ही शोषण के खिलाफ जंग से हुआ हो तो बेहद खुशी होती है। खास तौर पर तब जबकि आपने स्वयं उस नन्हें पौधे को वृद्ध वट वृक्ष बनाने में खून पसीने से अपनी आहुति दी हो।

आज मुझे तथा मेरे जैसे ही मेरे साथियों को इस बात का फर्क है कि हम इस संगठन के जन्म से इसके साक्षी हैं, इस संगठन से हमें वह ताकत मिली जिससे हम शोषण के विरुद्ध कमर कस कर युद्ध के लिए तैयार हो सके, वह जुनून मिला जिसके कारण हम कुछ मामलों में जीत का शंखनाद कर सके।

इतना सब होने के बाद भी लगता है कहीं तो कुछ कमी है। हम आज भी हर जगह अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहें हैं, मण्डल के या शासन के कर्णधारों द्वारा आज भी हमारा शोषण किया जा रहा है।

मुझे लगता है कि हम अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, अन्य शक्ति विहिन संगठनों को अपने साथ रुकने से हमारी मारक क्षमता में, हमारी आक्रमकता में कुछ कमी सी आ गई है। मैं यह नहीं कहता कि समस्याओं का हल शांति पूर्ण ढंग से नहीं हो सकता, हो सकता है लेकिन वह सिर्फ उँट के मुँह में जीरा बराबर होगा। अतः जरुरत इस बात की है, कि अपनी धार को गोधरा न पड़ने दें और अपनी मारक क्षमता को इतना तैयार करके रखें कि उसके उपयोग की आवश्यकता ही न पड़े।

क्योंकि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं।
मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए॥
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ज़ही।
हो कहीं भी आग लेकि आग जलना चाहिए॥

– प्रकाश सोनी
पूर्व प्रांतीय महासचिव एवं सलाहकार
म. प्र. वि. तकनीकी कर्मचारी संघ

रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनायें

समस्त विद्युत कार्यों के लिये
विद्युत मंडल की सेवा में
समर्पित

रजिस्ट्रेशन नं. 33/149

शुभेच्छु
केशव कांसकार
'बी' श्रेणी विद्युत ठेकेदार
मण्डला

श्री गणेशाय नमः

"लक्ष्य न अपना भूलना तुम, कदम मिलाकर चल
मंजिल तेरे पैर चूमेगी आज नहीं तो कल"

मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का सतत प्रयास रहा हे कि अपने सम्माननीय विद्युत उपभोक्ताओं को निरन्तर और सुचारु रूप से विद्युत प्रदाय करें। इस दिशा में म. प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ अपने श्रमवीरों के प्रति सदैव समर्पित रहा है संघ के पदाधिकारियों की सोच रही है कि कम्पनी, उपभोक्ता एवं कर्मचारी सभी को यथायोग्य लाभ मिले कम्पनी की उन्नती से कर्मचारी लाभान्वित होगें और कर्मचारी खुश तो कार्य में प्रगति निश्चित होगी।

तकनीकी कर्मचारी संघ ने हमेशा कम्पनी प्रमुख से चर्चा कर कम्पनी की प्रगति के उपाय सुझाए और उन्हें कार्यान्वित कर उपभोक्ता का हित किया आपदा प्रबन्धन में तकनीकी कर्मचारी अपनी जान हथेली पर रख एवं समय सीमा का ध्यान रखकर भी कम्पनी हित में सहयोग प्रदान करता है और कम्पनी की छबि को उज्जवल रखता है। संघ के प्रयासों की ही परिर्णिति है कि जबलपुर शहर को मध्य प्रदेश में प्रथम उपलब्धियों का अवसर मिला।

1. 1994 में म.प्र. में प्रथम स्वचलित उपपारेषण वितरण प्रणाली योजना का क्रियान्वयन जबलपुर शहर के भीतर संवेदनशील क्षेत्रों का अंकेक्षण किया गया 90 सेकेन्ड के अन्दर पुनः विद्युत प्रवाह आरम्भ कर इस प्रणाली से राजस्व में बढ़ोत्तरी की।
2. सन् 1998 में कर्मचारियों को गलियों में मेन्टेनेन्स कार्य में हो रही असुविधा का ध्यान रखते हुए पूर्व संभाग एवं पश्चिम संभाग को आटो थी व्हीलर की खरीदी का अनुमोदन प्राप्त कर उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान किया।
3. लाइन फाल्ट/विद्युत संबंधी शिकायत/ लाइन सुधार से सम्बन्धित कार्य हेतु कर्मचारी कार्य स्थल पर जाने के उपरान्त पुनः कार्यालय आकर दिशा निर्देश प्राप्त करता था, आने जाने में समय खराब होता था और उपभोक्ता भी परेशान होता था संघ के प्रयास से म. प्र. में प्रथम लाइन स्टाफ को जबलपुर शहर में तरंग मोबाइल प्रदान करने का श्रेय मिला।

कम्पनी को सतत अच्छे सुझाओं से उपभोक्ताओं हित के पति समर्पित एवं कर्मचारियों को लाभान्वित करने में संघ हमेशा अग्रणी रहा है। तकनीकी कर्मचारी कम संख्या में, कम सुविधाओं में भी उपभोक्ताओं के प्रति समर्पित हो कम्पनी की छबि को उज्जवल कर रहा है।

अब निर्णय आपको और कम्पनी को लेना है, विचार करना है और उन्हें कार्यान्वित करना है कि जो श्रमवीर अपने कार्य पर शहीद हो गये है उनकी विधवा पत्नि एवं बच्चों को कार्य मांगने के लिए कम्पनी के आगे हाथ जोड़ना चाहिए–

– शशि उपाध्याय (सचिव)
तक. कर्म. संघ म. प्र. वि. मण्डल
मढ़ाताल, जबलपुर

॥ गुप्त मतदान से मान्यता हो ॥

किसी भी संस्थान में कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने बावद् कर्मचारी संगठन होते हैं, म. प्र. विद्युत मंडल से म.प्र. राज्य विद्युत मंडल और इसी राज्य विद्युत मंडल से तीन कंपनियों का जन्म जनरेशन, पारेषण और वितरण कंपनी का जन्म हो गया। इतना बदलाव होने पर पूर्व में मान्यता प्राप्त संगठन की मान्यता को भी समाप्त कर दिया गया। हालाकि अपने–अपने अस्तित्व को बचाने, बनाये रखने में आज भी कुछ संगठन, समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञप्ति देकर स्वयं के जीवित रहने का प्रमाण देते रहते हैं, या जिस संगठन का शासन हो मुट्ठी भर लोग कर्मचारियों को गुमराह एवं मंडल प्रशासन से मिलकर केवल अपने संगठन का पहिया चलाते हैं। इससे न तो कर्मचारियों की एकता बन पाती, न ही गलत बात का शसक्त विरोध हो पाता है।

आज मं. प्र. राज्य विद्युत मंडल पूरे बदलाव में है, तकनीकी संस्थान में एक शशक्त संगठन का होना आवश्यक है, जिस तरह रेल्वे, फेक्ट्री, शिक्षा विभाग, बैकों आदि में चुनाव होते हैं, और कर्मचारी जिस संगठन पर विश्वास करते हैं, उस पर अपना मत देकर एक मजबूत संगठन को सामने लाकर मान्यता दिलाते हैं। उसकी बात को कर्मचारी और शासन मानता है।

इसी तरह म.प्र. राज्य विद्युत मंडल में भी कर्मचारियों के गुप्त मतदान के द्वारा एक मान्यता प्राप्त संगठन का उदय होना चाहिए। इससे अपनी – अपनी दुकान चलाने वालों से राहत होगी। कर्मचारी अपनी बात सही ढ़ंग से शासन के सामने रख सकेगा।

आज तकनीकी कर्म. संघ अपने संघ का रजत जयंती समारोह मना रहा है, साथ ही स्मारिका का प्रकाशन भी कर रहा है इस स्मारिका के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है। कि गुप्त मतदान से मान्यता दो ....

चलों चलें हम सभी वहां, तकनीकी हो सभी जहां

सभी कर्मचारियों, सहयोगियों को रजत वर्ष की शुभकामनाएँ

एस. के. साख्या
परी. सहा. –1 220 के.व्ही. उपकेन्द्र जबलपुर

समारोह में पुरुस्कृत छात्र

नाम – साकेत कुमार चौरसिया
पिता का नाम – श्री राजेन्द्र कुमार चौरसिया
(सहायक यंत्री. म.प्र. पू.क्षे.वि.वि.क.लि.समि.मंडला)
माता का नाम – श्रीमती आभा चौरसिया
(प्राचार्य शास. हाईस्कूल बिंझिया मण्डला)
उपलब्धि – 93.66% संभागीय बोर्ड पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2007 की कक्षा आठवीं में जबलपुर संभाग की प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान।

''तकनीकी कर्मचारियों को मिली संघ से पहचान''

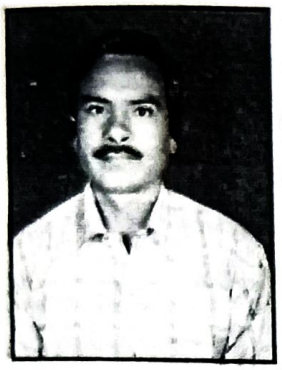

शासकीय उपक्रम हो या निजी उपक्रम अथवा बड़े-बड़े औद्योगिक संस्थान इन सभी में कर्मचारी संगठन रहते हैं जो समय समय पर कर्मचारियों की भावनाओं को मेनेजमेंट तक पहुँचाते हैं। म.प्र. विद्युत मण्डल भी ऐसा ही बिजली उत्पादन वाला प्रदेश का एक भाग संस्थान है। विद्युत मण्डल में भी अनेक कर्मचारी संगठन है जो मंडल तक कर्मचारियों की बात को रखते हैं।

विद्युत मण्डल एक तकनीकी संस्थान है इस संस्थान में तकनीकी कर्मचारियों की अधिकता शुरु से ही रही है, फिर भी इन कर्मचारियों की बातें कभी सुनी ही नहीं गई, तकनीकी कर्मचारी विशेषकर लाईन पर काम करने वाला, वर्ग अपने को असहाय सा समझने लगा। वहा छोटे-छोटे काम के लिये कार्यालीन कर्मचारी ''बाबू'' पर निर्भर रहता था, उसके साथ अछूत सा व्यवहार होता रहा। इन्हीं बुराईयों को दूर करने और अपनी बात स्वतः मंडल प्रशासन के समझ रखने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर 1982 को तकनीकी कम्रचारी संघ का गठन किया।

तकनीकी कर्मचारी संघ का गठन :- तकनीकी कर्मचारी संघ की स्थापना 26 अक्टूबर 1982 में की गई उन दिनों संघ से कर्मचारियों का जुड़ाव नहीं था, लेकिन निरंतर कर्मचारियों की सुविधाओं और उनका समस्याओं के समाधान के लिये संघ कार्य करता रहा, धीरे-धीरे इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ती गई, परिणाम स्वरुप आज यह संघ विशाल वट वृक्ष के रुप में मंडल में स्थापित हो चुका है। तकनीकी कर्मचारी संघ ने निरंतर संघर्षों का सामना करते हुए, तकनीकी कर्मचारियों को फायदा पहुँचाया। बीते 25 वर्षों में लगभग 35 लाभ संघ के माध्यम से तकनीकी कर्मचारियों को मिले है। जो 35 लाभों की सूचि प्रत्येक सदस्य को सौपी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि है कि वेजविजन के बाद तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रयास के कारण वाशिंग एलाऊंस 25 से बढ़कर 40 रु. किया गया व डिस्क अलाऊंस 80 रु. से बढ़कर 150 रु. किया गया यह सब संघ कं प्रभाव का ही परिणाम है।

संघ के कारण कर्मियों का सम्मान बढ़ा :- तकनीकी कर्मचारियों संघ के गठन के बाद धीरे-धीरे उसका प्रभाव बढना आरंभ हो गया जिसके कारण तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति भी धीरे - धीरे सुधरने लगी। जो लाईन कर्मचारियों को बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, उसके स्तर में सुधार आया और लोगों ने अपनी सोच का नजरिया भी बदला परिणाम यह हुआ कि हमारे कर्मचारी भाई जी सहायक यंत्री से बात करने में घबराते थे, वही आज न केवल कार्यपालन यंत्री से अपनी बात कहने से नहीं डरता बल्कि वहा उच्च अधिकारियों से भी चर्चा कर अपनी बात उन तक पहुँचा देता है और अधिकारी न केवल उनकी बात सुनते है बल्कि उसका तत्काल निराकरण करने का प्रयास करते हैं। इससे तकनीकी कर्मचारी अपने को सम्मान जनक स्थिति में महसूस कर रहे हैं, इससे लाईन कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई वह दूने उत्साह से कार्य सम्पादित करने लगा, जिससे मंडल/कंपनी की राजस्व में लगातार वृद्धि हुई। यह सब तकनीकी कर्मचारी के संगठित होने का प्रयास है। इसीलिए कहा गया है ''संगठन में शक्ति होती है।''

आज तकनीकी कर्मचारी सर उठा के चलते हैं, जे.ई के साथ अथवा कार्यालीन कम्रचारियों के साथ बराबरी से बैठने में कोई परहेज नहीं होता है। मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं है कि तकनीकी कम्रचारी संघ के गठन के पश्चात ही तकनीकी कर्मियों की पहचान बनी है। इसीलिए कहा जाता है, म.प्र. वि. मण्डल में कि ''सब पे भारी है, तकनीकी कर्मचारी''

- श्याम लाल तिवारी
ला.परि. श्रेणी -2 म.प्र. वि.मं. पू.स. आधारताल (ग्रा.)

कविता

बहुत किया है इन्ज़ार उनके आने का
ख़त्म होने को है इन्तज़ार उनके आने का
ये बदला शाम का रंग लो रात हुई सुहानी
सब कर रहे हैं इशारा उनके आने का
देखें हैं ख्वाब बहुत उनके जागती आँखों से
बनेगा अब ख्वाब हकीकत उनके आने का
बहुत हसरतें हें बहुत उम्मीदें हैं उनसे
हमें क्या मालुम क्या है सबब उनक आने का
रातें बनी दिन दिन बने रात अब तो
कैसे है ये खुमार 'विजय' पे उनके आने का
हर तरफ रोशनी -ओ-तरन्नुम है फिजाँ में
मना रहे हैं जश्न सब आज उनके आने का
ए मेरे खुदा क्या अजीब इतफाक है ये
अब वक्त हो चला है मेरे जनाजे के जाने का

❖

ख्याल तेरा ऐसा है कि क्या कहूँ तुझसे मेरे यार
बंद क्या खुली आँखों में भी तेरे सपने ही तो हैं

❖

कभी कभी अजनबी से
महसूस होते हो तुम
कभी-कभी मेरे राजदार
मालुम होते हो तुम
निगाहों में रहते हो फिर भी
अनदेखे लगते हो तुम
फिर भी समझ नहीं पाता
मेरे लिये क्या हो तुम
रहते तो करीब हो मगर
दूर-दूर से लगते हो तुम
दुनियाँ चाहे कुछ भी कहे
ए मेरे अजीज कातिल
मुझे तो खुदा से लगते हो तुम

❖

लहू को स्याही दिल को कागज बना कर लिखा है
कि ए मेरे कातिल तू ही मेरा खुदा है

मैं मानता हूँ खुदा उनको
वो मुझसे खुदा को माँग बैठे
जाँ भी होती तो कुछ गम नहीं
वो मुझसे ये क्या मांग बैठे
अब तक तो कोई नहीं जानता था
अब सब मेरी हकीकत जान बैठे
किसी से भी पूछो तो बताएँगे
वो मुझसे मेरा नूर माँग बैठे
मेरा सब कुछ तो वही खुदा था
दिल जीत गये मगर खुदा हार बैठे

❖

नहीं की थी कोई खता, फिर भी सजा मुझे मिली
दुआ तो की थी मौत की, मगर यारों फिर जिन्दगी मिली

विजय नामदेव

M/s. G. B. Industries

Manufacturer
Dhana Dal

सुमत कुमार जैन
द्वारा - राजेन्द्र कुमार जैन
थोक व्यापारी धनिया, दाल

Fac. : 34, 35 Industrial Area, A. B. Road, Guna (M. P.)
Off. : Old Galla Mandi, Guna (M. P.)
Tar : Patai Wale
Off. : 252563, 255163 Resi. : 254863, 251363
Fac. : 220663

एक नजर -

विद्युत मण्डल से कम्पनी करण पर

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल के गठन से लेकर अभी तक इसके स्परुप में परिवर्तन समयानुसार होते गए हैं, इन बदलते स्वरुप में कहीं न कहीं न केवल प्राथमिक व्यवस्थाओं, आर्थिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है बल्कि कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा हे। क्या वजह थी कि मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को कम्पनी करण में तब्दीली किया गया, चलते है मण्डल से कम्पनी करण की यात्रा पर :-

म. प्र. विद्युत मण्डल का गठन :- भारत में आजादी के पूर्व अर्थात् 1947 के पहले देश के कुछ ही महा नगरों में विद्युत का प्रसाद हुआ था। जो भारतीय अधिनियम 1910 के द्वारा नियंत्रित था। स्वतंत्रता के बाद लगभग 5, 75, 000 ग्रामों /शहरों में भाग 3061 में ही विद्युत उपलब्ध थी। अर्थात् कुल 0.53 प्रतिशत गाँव की विद्युतकृत थे। जिनका संचालन निजि कम्पनियाँ ही करती थी। भारत शासन ने स्वतंत्रता के बाद देश की प्रगति के लिये, कृषि उत्पादन बढ़ाने औद्यौगिक ईकाईयों की स्थापना हेतु विद्युत विस्तार की आवश्यकता महसूस की, इसके लिये प्रचलित विकृत अधिनियम 1910 के बदलना आवश्यक हो गया। अतः विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के द्वारा 1910 में परिवर्तन किये गये। जिसमें देश के हर प्रदेश को अपने विद्युत मण्डल गठन के अधिकार दिये गये। विद्युत अधिनियम 1948 लागू हो जाने पर 9 दिसम्बर 1950 को विद्युत मण्डल का गठन किया गया।

9 दिसम्बर 1950 को विद्युत मण्डल की स्थापना नागपुर में की गई जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश के आठ जिलों को शामिल किया गया था। विद्युत मण्डल के गठन में प्रशासनिक कार्य के साथ ही साथ मंडल को संचालित करने की दृष्टि से कुछ प्रमुख पदों का सृजन किया गया जिसमें अध्यक्ष एक व 7 सदस्य होंगे।

विद्युत मण्डलों में 1950 में प्रथम अध्यक्ष कर्नल मैत्री कौन थै, उस वक्त इसमें कर्मचारियों की संख्या लगभग 350 ही थी।

1 अप्रैल 1954 को पुनः राज्य का गठन किया गया तथा भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंर्तगत विद्युत मण्डल का पुर्नगठन हुआ, जिसका मुख्यालय नागपुर से स्थांनतरित होकर जबलपुर बना।उस समय म. प्र. विद्युत मण्डल के समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी जिनका शनैःशनै मुकाबिला किया गया। म.प्र. विद्युत मण्डल के गठन के समय भाग 3500 गाँवों में ही बिजली की व्यवस्था थी, और लगभग 76,000 गाँवों को विद्युतीकृत करना था। समय के साथ, काम बढा कर्मचारी बढ़े, परिणाम स्वरुप ग्राम विद्युतीकरण का सपना सकार हुआ। वर्ष 1967 से 1971 तक में अत्याधिक बिजली का उपयोग सिंचाई में किया गया जिसके परिणाम स्परुप कृषि की पैदावार अधिक हुई। मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा कृषि के क्षेत्र सर्वाधिक विद्युत का उपयोग किया गया। तब विद्युत मण्डल मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा औद्यौगिक संस्थान के रुप में स्थापित हो चुका था। वर्ष 1980 तक म.प्र. विद्युत मण्डल की स्थिति ठीक रही। 1980 के बाद में इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ना आरंभ हो गई। कारण सरकारी हस्ताक्षेप 5 हा.पा. सिंचाई पम्प. फ्री. एक बती कनेक्शन फ्री. इस सुविधा का जमकर हुआ दुरुपयोग, जिसका खामियाजा मण्डल के कर्मचारियों को उठाना पड़ा फलस्वरुप उन्हें मिलने वाली सुविधाओं में कटौती आरंभ हो गई जैसे अवकाश नगदीकरण, एल.टी.सी., ग्रेन एडवांस, बोनस, त्यौहार अग्रिम जैसी महत्वपूर्ण सुविधायें मण्डल द्वारा बंद कर दी गई इसका कारण मंडल की खराब आर्थिक स्थिति बताया गया, वर्ष 1993 से 2003 तक का कार्य काल, विद्युत मण्डल, राज्य विद्युत मंडल के लिये संकट का कार्यकाल साबित हुआ, इस स्थिति का जिम्मेदार

कौन ? यह अलग विषय है, परन्तु इस स्थिति से कर्मचारियों में निराशा व्याप्त होगी।

मंडल की इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन् 2000 में म.प्र. विद्युत मण्डल से म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल का प्रस्ताव पारित किया गया फलस्वरूप 1 जनवरी 2001 इसका नाम म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल हो गया। राज्य विद्युत मण्डल के कार्यकाल में भी कोई विशेष अंतर नहीं आया, परिणाम स्वरूप कम्पनी करण का मार्ग प्रशस्त हो गया।

विद्युत मण्डल का कम्पनी करण :– म.प्र. शासन ने विद्युत अधिनियम 2003 राज्य विद्युत मण्डल के क्रिया कलापों को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु पाँच विद्युत कम्पनियों का गठन किया गया, इसमें वितरण के क्षेत्र में 3 और ट्रांसमिशन तथा जनरेशन कम्पनी का गठन किया गया/ जिसमें वितरण में पूर्व क्षेत्र, मध्यप्रदेश व पश्चिम क्षेत्र बनाये गए जिनका मुख्यालय क्रमशः जबलपुर, भोपाल, इंदौर है, ट्रांसमिशन व जनरेशन कम्पनी का मुख्यालय जबलपुर में है।

प्रत्येक कम्पनी में एक सी.एम.डी. के मोत्हव्वम कम्पनी के सचिव अतिरिक्त सचिव, कार्यपालक निदेशक, व मुख्य अभिवंता आदि के पदों के द्वारा, कम्पनी के कार्यों का संचालन किया जाता है। विद्युत सुधार अधिनियम 2003 के द्वारा बनाये गए नियमों को सुव्यवस्थित चलाने की व देखरेख के लिये विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई जिसका भोपाल में है।

कम्पनीकरण में कर्मचारियों की स्थिति :– मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, फिर म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल, और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अधीन कर्मचारी कार्य कर रहे, बड़ी, विचित्र बात है कि इन उपर्युक्त तीनों अव्यवस्था में पूर्व के ही अधिकारी विद्यमान है जिन्हें मालुम हैकि तेजी से मैदानी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, नई भर्ती नहीं हो रही है जिसके कारण कर्मचारियों में काम का अधिक दबाव बना रहता है. यही वजह से वह लाईन में काम करते वक्त टेंशन का अनुभव करता हे। यद्यपि कम्पनी करण में कोई अलग से हटकर कार्य नहीं कराया जाता है, काम वही है फर्क है तो केवल कर्मचारियों की कमी का है। अतः समय की मांग है, नयी भर्ती लाईन कर्मचारियों की जावे।

– नरेश पाठक
ए. एल. एम. सहा. ला.मेन अधारताल (ग्रा.)
अधारताल वि. के (ग्रा.) पू. अ.क्षि वि. कम्प. लि. जबलपुर

जिला विद्युत कर्मचारी साख संस्था मर्यादित, खरगोन

(पंजीयन क्रमांक 600 दिनांक 25/5/82)

जिला विधु कर्मचारी सहकारी साख संस्था मर्यादित खरगोन की ओर से मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ एवं संस्था की रजत जयंती के अवसर पर प्रकाशित स्मारिक के विमोचन एवं ईद, दशहरा व दीपावली के पावन पर्वो पर समस्त विद्युत कर्मचारियों एवं अधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं

श्री एस. एफ. खॉन
संचालक एवं
(क्षेत्रीय सचिव खरगोन)

संचालकगण :– सर्वश्री एस.एफ. खॉन, शरद भावासर, प्रवीणचंद्र जैन, आर.एस. सोलंकी, मिश्रीलाल वर्मा, श्रीमती उमाबाई वानखेडे।
प्रतिनिधिगण :– सर्वश्री गोपालकृष्ण शर्मा, प्रभात जोशी, ए.एम. वर्मा, गजेन्द्र दुबे, दिपक सिकावार, एस.के.चौधरी।
प्रबंधक :– सन्तोष कुमार मालवीय सहायक लेखा पाल :– सुनील कुमार सोलंकी,
कम्प्यूटर गणक :– शशिकान्त पाटील भृत्य :– नटवर बार्चे।

श्री एल.एन. मालवीय
अध्यक्ष

श्रीमती कमलाबाई सोलंकी
उपाध्यक्ष

श्री गजेन्द्र गीते
उपाध्यक्ष

''तकनीकी महत्त्वता, अध्यात्म से''

प्रिय बहादुर साथियों,

यह म.प्र. वि.मं. तकनीकी कर्मचारी संघ को स्थापना का पच्चीसवाँ वर्ष है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम इस अवसर पर संघ का ''रजत जयंती वर्ष'' समारोह के रुप में वृहदस्तर पर मना रहे हैं। इस संघ की नीव सन् 1982 ई. में तब रखी गई जब म.प्र. वि. मं. में तकनीकी कर्मियों के हक की बात करने/ कहने वाला कोई मसीहा नहीं था। यह समारोह हमारे लिए तभी सार्थक होगा जब हम अपने लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकें।

हमारा लक्ष्य है मण्डल में तकनीकी कर्मचारी समानता का अधिकार, अपने श्रम का उचित मूल्यांकन पाकर, अपनी और अपने परिवार की आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार करके समय के अनुसार दुनियाँ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और प्रदेश एवं देश को अपने श्रम से खींचकर उन्नति की ओर ले जाना। इसके लिए हमें अपने स्वयं को तैयार करना होग, एकता दिखानी होगी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और ''मनुष्य ईश्वर की महानतम कृति है'' ये कुरु आन और बाइबिल व अन्य सभी धर्म ग्रन्थ हमें बताते हैं। किन्तु हम इसके विपरीत देखते हैं कि सामान्य से असामान्य बनना तो दूर, व्यक्ति साधारण स्तर का भी नहीं रह पाता। इसका मूल कारण है ''अपनी सामर्थ्य का बोध न होना।''

पिछले 45–50 वर्षों से अपने सामर्थ्य का बोध न होने के कारण विद्युत मण्डल में तकनीकी कर्मचारियों की स्थिति देश एवं प्रदेश के अन्य संस्थान की तुलना में बदलकर रही है; इसका प्रमुख कारण हमारा नेतृत्व चन्द पढ़े लिखे कहे जाने वाले कागजी कर्मी (लिपिक वर्गीय) एवं उनके तथाकथित संगठनों का वर्चस्व और उनके द्वारा हमारी शक्ति का सहारा लेकर हमारे ही अधिकारों का हनन करना पड़ रहा है। आज हमें ''हमारा संगठन'' नेतृत्व प्रदान कर रहा है आइए और अपनी शक्ति को एक ही प्लेटफार्म पर अपने उद्देश्य के लिए लगाने में खर्च करें।

विद्युत मण्डल में तकनीकी की कर्मचारी संघ ''जामवंत'' की भांति आपको उपदेश दे रहा है; आप ''हनुमान'' बनिये और अपनी आत्मा गरिमा को पहचानिए। ''हनुमान'' को यदि अपनी सामर्थ्य का बोध होता तो उन्हें ''जामवंत'' के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ''श्रीराम'' का आदेश पाते ही 'वह चल पड़ते हैं– जैसे ही सागर किनारे साधारण से बानर हनुमान को अपनी ''आत्म–गरिमा'' का बोध होता है वह एक ही छलांग में असंभव पुरुषार्थ करने में सफल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह आइए हम इस संघ के रजत जयंती स्थापना दिवस के पावन अवसर पर प्रण लें कि तकनीकी कर्मचारी संघ को अधिक से अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक तकनीकी अपनी इच्छासे सहयोग देकर, दूसरे संघों में बिखरे हुए भाईयों को एकत्र कर मण्डल रुपी समुद्र को ''हनुमान'' बनकर अपनी जायज मांगों की पूर्ति करने के लिए एक ही छलांग में अपना उद्देश्य प्राप्त करने में जुट जाएँ।

अच्छे से अच्छे कागज पर कीमती रंग भी यदि बेतरतीब फैला दिया जाये तो कागज व रंग दोनों ही व्यर्थ जाएंगे किन्तु उसी कागज पर वही रंग जब कोई ''चित्रकार'' तरतीब से लगाता है तो सुन्दर छवि बन जाती है, वह छवि हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करती है, देखने वालों को भी प्रसन्नता होती है और चित्रकार को भी आत्म संतोष मिलता है। तो क्यों न हमतकनीकी कर्मी भी जो विभिन्न संगठनों में बिखरे हुए हैं, एक जुट होकर ''तकनीकी कर्मचारी संघ'' रुपी चित्रकार के सम्पर्क में आकर एक उच्चतम कृति का नमूना प्रस्तुत करें।

जब सूर्य पर बादल छाए हों तो कुछ देर के लिए वातावरण में ठंडक छा जाती है। आसमान से बादलों के छंटते ही सूर्य का प्रकाश व गर्मी उसे क्षेत्र के हर भाग तक पहुँचने लगती है। अपनी आभा भी ऐसी ही प्रकाशवान जाज्वलयमान है, मात्र हमारे ऊपर कागजी–कर्मी तथा कथित संगठन रुपी बादल ने इस आभा को ढंक रखा है; इस आवरण को हटाया जा सके तो असामान्य स्थिति में पहुँचा जा सकना संभव है।

आइये अपने संघ की महत्त्वता को समझाइये, आप अपने श्रमिक – महत्त्व को जानिये, अपने को पहचानिये कि आप वह बन सकते हैं जैसा किसी ने कहा है –

''मंज़िलें चूम लिया करती हैं खुद उनके कदम जिनके सीने में हो जज्वा, कुछ कर–गुजरने का मनुष्य या सिद्ध पुरुषों का सबसे बड़ा चमत्कार है उनका ''आत्म –बल''। यही चमत्कारी क्षमता सामान्य से सामान्य राजकुमारसिद्धार्थ को ''गौतम बुद्ध'', गड़रिये के बेटे को ''ईसा–मसीहा'', साधारण से साधु को ''समर्थ रामदास'' वासनाओं में लिप्त कामुक व्यक्ति को ''तुलसीदास'', एक डाकू को ''संतवाल्मीकी'' एवं अध्यापक को ''महायोगी अरविन्द'' बनाती है। फिर क्या वजह है कि आप तकनीकी श्रमिक को ''तकनीकी'' होने का, तकनीकी संघ से जुड़ने का ''आत्म–बल नहीं मिलता है।

प्रत्येक व्यक्ति में महान बनने की संभावनायें बीज रुप से विद्यमान हैं। प्रशिक्षण और अभ्यास द्वारा उनको विकसित किया जा सकता है। रीछ – बन्दरों को भी, जिनमें न सूझबूझ– होती है और न ही बौद्धिक –क्षमता। प्रशिक्षण और मदारी उन्हें भी मनुष्यों जैसा व्यवहार करना सिखा देते हैं, तो क्या वजह है कि बौद्धिक क्षमता सहयोग की सुविधा और असामान्य सुविधाएँ (तकनीकी संघ) के होते हुए भी हम श्रमिक दीन–हीन ही बने रहने के लिये अन्य संघों के कमानी –स्प्रिंग बने हुए हैं जबकि अपनी ही रेल (संघ) अपना ही माल, अपना ही फ्लेट फार्म उपलब्ध है। फिर भी मण्डल की रीढ़ कहे जाने वाले हम श्रमिक बिखरे हुए हैं, क्यों ? क्यों नहीं रीढ़ की तरह कार्य करते ? हम मण्डल के ''पुत्र'' होना तो स्वीकार हैं पर अपने लिए पिता के द्वारा पुत्र को दिये जाने वाले तमाम लाभों, सम्पदा के स्वामी बनने के लिये ''दत्तक – पुत्रों'' (तथाकथित संगठनों) के भरोसे बैठे हैं। आप स्वयं को पुत्र होना स्वीकार लें, बस तमाम सम्पदाओं–सुखों–लाभों के स्वामी बन जाएंगे जो आपका असली हक है।

अंत में फिर उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहूँगा कि इस रजत जयंती वर्ष पर प्रण ले कि हम अपने संघ को मजबूत बनाने के लिये एकत्र होकर मण्डल रूपी समुद्र को हनुमान बनकर अपनी जायज मांगो की पूर्ति हेतु एक ही छलांग में अपना उद्देश्य प्राप्त करने जुट जायें।

जय श्रम–जय तकनीकी –(इसराइल खान, परी. सहा.श्रे–1 132 के.व्ही. उपकेन्द्र – मण्डला

नाम – रंगलाल विश्वकर्मा **पद** – लाइन परिचारक श्रेणी – 2

कार्यालय – परीक्षण संभाग गुना

विशेष कार्य – जिसके लिये मंडल द्वारा पुरुष्कृत किया गया –

132 के. व्हीं. उपकेन्द्र अशोक नगर में 40 एम.बी.ए. ट्रांसफार्मर लाइट निंग (बिजली गिरने) के कारण बन्द हो गया था एवं उसी दौरान 20 एम.बी. ए. ट्रांसफार्मर का ब्रेकर फेल हो जाने से सम्पूर्ण अशोक नगर जिला अंधकारमय हो गया। जिसे अल्प समय में दुरुस्त कर अशोक नगर को अंधकार मुक्त कर मंडल को 3 लाख की आर्थिक क्षति होने से बचाया।

पुरुस्कार दिनाँक 15 अगस्त 07

With Best Compliments From :-

Varun Line - O - Matic

Correspondance Address

165, Adarsh Nagar, Narmada Road,
JABALPUR (M. P.)
Ph. : 0761-4016656 / 2660606, 9425161222

Works Address

Amkhera Main Roa, Jagrati Nagar,
JABALPUR (M. P.)
Ph. No. : 2659666, 2659566, 3202266

By. - **Mr. Varun Duggal**

अनचाही संतान

किसी भी औद्योगिक संस्थान की कल्पना उसमें कार्यरत मेहनतकश मजदूर एवं कर्मियों के बिना अधूरी है। और जब संस्थान में इतने सारे कर्मी होते हैं। तो निश्चित रूप से उनका एक संगठन भी होता है।

संस्थान अपने आरंभ के दिनों में ही अपनी मंशा एव आवश्यकता के अनुरूप कुछ हद तक एक ऐसे संगठन को जन्म देकर अस्तित्व में लाता है। जो संस्थान को चलाने वाली प्रशासनिक शक्ति के प्रत्येक उचित –अनुचित निर्णय, अव्यवहारिक एवं अविवेक पूर्ण फैसले और शोषण की नीति जैसे कार्यों में अपनी मौन स्वीकृति प्रदान कर उसके फैसलों में सहभागी बनें। प्रशासनिक शक्ति की कूटनीति के आगे उक्त संगठन इतना पंगु हो जाता है कि उसमें विवेकशीलता एवं विचार शीलता लगभग शून्य हो जाती है। हर गतिविधियों को अनदेखा कर प्रशासन की मनमर्जी में शामिल हो। इस तरह यह संगठन संस्थान के लिये **चाही गई संतान** के रूप में होता है।

कई वर्षों पहले मध्यप्रदेश विद्युत मंडल ने भी उपरोक्त प्रक्रिया को अपनाकर यही सब किया था। मंडल ने प्रारंभ से ही कर्मियों के एक इतने बड़े वर्ग को जो मेहनतकश था, अपने कार्य के प्रति ईमानदार था। इस मेहनतकश वर्ग से मंडल ने सौतेला व्यवहार किया। इनको अशिक्षित, अज्ञान एवं कम पढ़ा लिखा जानकर सदैव ही इनकी घोर उपेक्षा करता रहा एवं इनका शोषण करता रहा। इनकी काबिलियत, लायकता और योग्यता की मंडल ने हमेशा अनदेखी और इनके हितों पर कुठाराघात करता रहा। उस दौर में इनकी सुध किसी ने नहीं ली। इनके प्रति अन्याय किये जाने पर उस दौर का संगठन भी मूक दर्शक बना रहा।

कर्मियों के इस वर्ग के प्रति मंडल के उदासीन, दमनशील एवं शोषणात्मक रवैये तथा सौतेला व्यवहार जैसे मूल कारणों के परिणाम स्वरुप ही 26 अक्टूबर 1982 को ''तकनीकी यूनियन'' ने मंडल की **अनचाही संतान** के रूप में जन्म लिया। हालाकि इस **अनचाही संतान** का उस समय मंडल को भी पूर्व आभास नहीं था।

यह तकनीकी संगठन अपने शैशवकाल में ही इतना उर्जावान था कि इसने मेहनतकश उपेक्षित वर्ग का बखूबी नेतृत्व करने के लिये तत्पर रहा और सफल नेतृत्व किया।

मंडल के इसी उदासीन दमनशील एवं शोषणात्मक रवैये ने संगठन के इरादों को फौलाद की ताकत दी और विचारों में आग की तपन पैदा कर दी।

आज जब हम पीछे मुड़कर एक लंबे परिदृश्य में देखते हैं तो हम पाते हैं कि तकनीकी यूनियन ने अपनी तरुण अवस्था से लेकर अपनी युवावस्था तक विवेकशील एवं मर्यादित तरीकों से अनेकों आंदोलन करते हुए हम तकनीकी कर्मियों के हक की लड़ाई में हम लोगों को बहुत कुछ दिलवाया है। तकनीकी के हित में कई अहम फैसले मंडल को लेने पर मजबूर किया है। और सबसे अहम बात यह कि पहली बार हमने अपने तकनीकी होने का एहसाह मंडल को कराया। और तकनीकी शक्ति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया।

हम तकनीकी अपनी तुलना यदि सीमा पर तैनात कर्तव्य निभा रहे उस सैनिक से करें, तो उसकी तुलना में हम

तकनीकी कर्मी भी अपने कर्तव्य के प्रति अपने आपको कम नहीं पाते हैं। क्योंकि हम सदैव विषम परिस्थितियों में जटिल से जटिल कार्यों को उपलब्ध सीमित संसाधनों से अंजाम तक पहुंचाते हैं। हमें भी कर्त्तव्य के पथ पर पल-पल एवं पग-पग पर निडरता एवं वीरता का परिचय देना पड़ता है। क्योंकि हर पल कोई दुर्घटना, कोई हादसा मृत्यु के रूप में हमारा इंतजार कर रहा होता है।

मंडल के लिये भले ही हम तकनीकी एवं हमारी यूनियन **अनचाही संतान** हों। परंतु यह बात हम गर्व से कह सकते हैं कि हम तकनीकी की मंडल की **लायक संतान** हैं।

मंडल की यह अनचाही संतान तकनीकी यूनियन आज अपनी युवावस्था के 25 बसंत पूर्ण कर रही है। इस अवसर पर संगठन को मैं अपनी ओर से शुभकामनायें देता हूँ साथ ही अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी संगठन हम तकनीकी कर्मियों के हक की लड़ाई पूरी ताकत एवं ईमानदारी से लड़ता रहेगा। अंत में अपने सभी तकनीकी साथियों को शुभकामनाऐं देता हूँ एवं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।

धन्यवाद

''जय वीर तकनीकी''

सतीश कुमार दुबे
परीक्षण सहायक श्रेणी- 2
220 के.व्हीं. उपकेन्द्र, नया गाँव
जबलपुर (म. प्र.)

म. प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ

शाखा मण्डला

रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनायें

राजेश डोंगरे
प्रदेश प्रतिनिधि
परीक्षण सहायक II

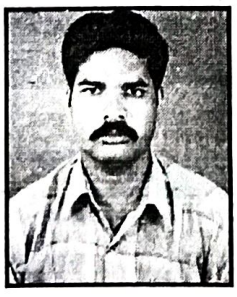

संजय कुमार राय
अध्यक्ष - तक.कर्म. संघ
म. प्र.वि.मं.जिला मण्डला

रोचीराम गुरवानी
संरक्षक

भुवनेश्वर प्रसाद कछवाहा
सचिव - तक.कर्म. संघ
म. प्र.वि.मं.जिला मण्डला

विकास के हर क्षेत्र में नारी का योगदान सराहनीय

यह बात सर्वविदित है कि विकास का कोई भी क्षेत्र हो उसमें नारी का योगदान निःसंदेह सराहनीय है। इतिहास साक्षी है। स्वतंत्र आंदोलन से लेकर नव राष्ट्र के निर्माण में नारी के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। नारी इस सृष्टि का आधार है। भारतीय संस्कृति में नारी को विभिन्न रुपों में पूजा जाता है। जैसे दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सीता राधा, इसलिए कहा गया है। ''जिस घर में नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं।'' नारी का चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है,

''काह न पावक जारि सके, का न समुद्र समाई।
का न अबला कर सके, केहि जग काल न खाई।''

उपरोक्त पंक्ति से नारी की महत्ता स्वतः उजागर होती है। आज के दौर में महिलायें विकास के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों का हाथ बंटा रहीं हैं हम देख रहे है, राजनीतिक क्षेत्र में वह देश का नेतृत्व कर रही है तो विज्ञान के क्षेत्र में वह अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है तो अध्यात्म के माध्यम से समाज में चेतना प्रदान कर रही है। अब भारतीय नारी परदे तक सीमित नहीं है।

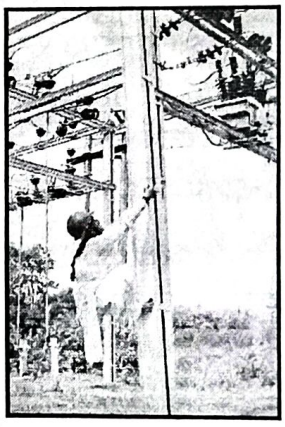

सरकारी अथवा गैर सरकारी उपक्रमों में कार्य करने वाले कर्मचारियों में महिला पुरुष सभी समान रुप से कार्य करते हैं। पर कहीं कहीं पुरुषों अथवा महिलाओं में असाधारण प्रतिभा देखने को मिलती है, और यही प्रतिभा उनकों सभी कर्मचारियों के मध्य श्रेष्ठता प्रदान करती है। जो उस कार्य की पहचान बन जाती है।

ऐसा ही एक नाम है, श्रीमती शांती बाई का जो म.प्र. वि. में कटनी में कार्यरत है। श्रीमती शांति बाई पति श्री एस. लकरा'' ने अपनी नौकरी दैनिक भोगी कर्मचारी की हैसियत से सन् 1983 से कोरबा से आरंभ की जो बाद में 1989 में नियमित कर उनकी नियुक्ति निर्माण संभाग के तहत दुर्ग में की गई। श्रीमती शांति बाई तकनीकी कर्मचारी है, जो कि, लाईन से लेकर मेंटनेंस तक के सभी कार्य करती हैं।

श्रीमती शांति बाई 33 के. व्ही. स्विच का काम तो करती ही है साथ ही वह लाईन के सभी कार्य जैसे डी. ओ. फ्यूज लगाना, जम्फर जोड़ना व सब स्टेशन मेटेनेंस का भी कार्य करती है।

बिजली चालू रहने पर लाईन का कार्य (एल.टी.) में किया जाता है, जो कि जोखिम भरा होता है, कि जरा सी असावधानी जान लेवा साबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी बड़ी निर्भीकता से लाईन का कार्य श्रीमती शांति बाई करती है वह एल टी लाईन के साथ ही साथ 33 के. व्ही. लाईन का भी कार्य उतनी ही निर्भिकता से करती हैं। वह पूर्णतः तकनीकी कर्मचारी है, हमारे लिये यह अत्यंत ही गौरव की बात है, जहाँ तक मुझे याद है कि सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में संभवतः वह पहली महिला लाईन कर्मचारी है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उन्होंने लाईन का कार्य कर अपनी एक पहचान बनाई है, जो कि प्रशंसनीय है।

– दयाशंकर शुक्ला
सचिव
आयोजन समिति

"तक. कर्म. ने
हित-अनहित न जाना"
"परन्तु"
"पशु पक्षी ने
हित-अनहित जाना"

उक्त शीर्षक पंक्तियों से प्रतीत होता है कि जिस तरह पशु और पक्षी अपने जीवन यापन एवं निर्वहन हेतु वर्षों से पूर्व घोंसला बनाकर अपने सपरिवार के साथ घोंसला में निर्वहन करता है। परन्तु तकनीकी कर्मचारी आज जैसे विकसित युग में भी कहीं न कहीं अपने हितों की सुरक्षा नहीं कर रहा क्योंकि आज की व्यवहारिक दौड़ पर, प्रत्येक कर्मचारी को अपने हिताय सत प्रतिशत तक. कर्म. को चाहिये कि शीघ्र से शीघ्र अपने संगठन से जुड़ कर प्रत्येक सदस्य एक-एक तिनके के रूप में एकत्र होकर संगठन रूपी इस घोंसलें को इतना सशक्त मजबूत बनायें कि एक बूंद भी पानी प्रवेश न कर सकें और आप सभी की सुरक्षा, सुरक्षित रहे। एकता ही अखण्डता का प्रतीक है।

अतः मैं चाहूँगा कि आप समस्त म. प्र. में कार्यरत विद्युत मंडल तक. कर्म – इस पंक्ति के प्रतीक के रूप में खरे रहें। जय श्रम, जय भारत

"हित-अनहित पशु पक्षीः जाना"
"एकता हमारा नारा है"
"संगठन हमारा है"

रवीन्द्र प्रसाद तिवारी
स. ला. मैन
कार्या. सहायक यंत्री सब डिवीजन सचा. संधा.
म. प्र. पू. क्षे. वि. वि. कं. लि. कटनी म. प्र.
अध्यक्ष – म. प्र. वि. मं.
तकनीकी कर्मचारी संघ (वृत्त) शाखा कटनी (म. प्र.)

"संघर्ष"

विद्युत मण्डल में T.S. के पद पर इन्दौर में पदस्त है वैसे तो मण्डल में कार्यरत है परन्तु स्वभाव से फिल्मी कलाकार है, कथन्कार, नई आइडिया पर पूर्ण कहानीकार, सटील अच्दो कलाकार है और एक फिल्म में कार्य भी कर चुके है। परनतु मण्डल में कार्यकरते करते तकनीकी कर्मचारी संघ से जुड़ गये सन् 1986 से और जब इस मण्डल में कई शक्तिशाली संघ थे उक्त विकट परिस्थितियों में अपने सार्थियों के साथ कई बार मण्डल से संघर्ष कर साथियों के साथ कर्मचारियों के हित में लड़ाईयाँ लड़ी है। और कठिन परिस्थितियों में तकनीकी कर्मचारियों को इस मण्डल में सम्मान्न पूर्वक स्थान दिलाने में अहम् भूमिका अदा कि है और इस तारत्म्य में हड़तालें पर जाने में मण्डल द्वारा प्रताडित किये गये स्थानान्तर तक झेला गया और इस पर भी संघर्ष कर यथा स्थान पुनः पदस्थायित्व हो कर तकनीकी संघ की शक्ति प्रदान कि और आज जब अन्य संघ धराशाई होने कि कगार पर है। तकनीकी संघ अपने उच्च स्थान पर स्थापित होने वाले गौरव से गौरवान्वित किया है। सभी संघ के साथियों के साथ संघर्ष कर आज हम तकनीकी संघ मण्डल से कर्मचारी हित में संघर्षरत है। और इसी तारतम्य में अग्रसर होते हुए हम संघ का रजत जयंती समारोह बड़े शान से मनाने व उपलब्धीयों को पूर्ण करने के दिवस पर उपस्थित रहेगें।

अपने सभी तकनीकी संघ के साथियों को इस अवसर पर पूर्ण आस्थाओं सहित बधाईयाँ।

– दिलीप तोताड़े

=अनुभव के साथ मनोबल =

मध्यप्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में स्मारिक प्रकाशन से हम सभी तकनीकी कर्मचारियों में बड़ा हर्ष और गौरव है, इस के माध्यम से हम सभी को अपनी - अपनी भावनाएँ रखने का एक अच्छा अवसर मिला है।

म.प्र. विद्युत मंडल का देश में गौरव पूर्ण इतिहास है। जिसका पूरा श्रेय संस्थान में कार्यरत अनुभवी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाता है, परन्तु आज अनुभव के सामने कुछ ऐसे प्रश्न खड़े है, जिससे उनका मनोबल गिरता जा रहा है, हालाकि कुछ हद तक कर्मचारियों की भर्ती में प्रतिबंध, साथ ही अनुभवी साथियों का रिटायर हो जाना है, जिससे कार्य का बोझ प्रत्येक कर्मचारी पर काफी हद तक बढ़ गया है, कार्य अधिक होने से औसतन आयु में शारीरिक बदलाव भी आ रहा है, जिसे मुख्य कारण कहा जा सकता है।

दूसरा कारण आज जो तकनीकी कर्मचारी कार्यकर रहे हैं, जिस पद पर नियुक्त हुए हैं। 20-20 वर्षों से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं, चाहे चतुर्थ श्रेणी में हो या तृतीय श्रेणी में हो । एक हेल्पर को गड्ढे खोदना, घास काटना से लेकर ब्रेकर, ट्रान्सफारमर, ग्रेन्ट्री आदि पर हेल्पर होते हुए फोरमेन तक का कार्य करना पड़ता है। समय-समय पर झूले तक में कार्य करना पड़ता है, उम्र का भी एक तकाजा होता है।

इसी तरह तक सहा आपरेटर को लगातार कई वर्षों से अपने पद के साथ-साथ जिम्मेदारी से सुपरवाइजर आदि का कार्य करना पड़ता है।

इतने लम्बे समय से प्रमोशन आदि न होने से कर्मचारियों का मनोबल गिरता है, समय-समय पर उनके अनुभव के आधार पर उसे प्रमोशन दिया जाए तो उनका अनुभव और मनोबल कार्य को और अच्छे ढंग से संचालित कर सकता है - तकनीकी कर्म संघ ने इस बावत समय-समय पर मंडल का ध्यान इस ओर आर्कर्षित किया है। आशा है कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो।

रजत जयंती वर्ष में सभी तकनीकी कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएँ, इस संकल्प के साथ कि हम सभी एक रहेगें। तकनीकी कर्मसंघ को अपनी एकता से शिखर पर ले जायेंगे।

"जोखिम जो उठाता है, तकनीकी की वह कहलाता है।"

जी.पी. विश्वकर्मा
परी सहा -1
220 के.व्ही.स/स जबलपुर

रजनी टेण्ट एण्ड डेकोरेटर्स
शादी - विवाह, किटी पार्टी, जन्म दिन व शुभ अवसरों पर
आकर्षण साज - सज्जा के लिये सम्पर्क करें।
नोट : हलवाई की विशेष सुविधा
दुर्गा नगर, झिरिया कुआं के पास, रामपुर, जबलपुर
Mob. : 9302139790, 9300775045 पप्पू यादव

हम पर न करो क्रूरता

या रब ! तेरे जहाँ में, ये क्या हो रहा है ?
नर ही नरभक्षी हो रहा और
तू सो रहा है ?
देखे वैभव के नन्दन – कानन
सब नष्ट किया आनन फानन।
कभी वसुंधरा की गोद में, भी चहुँ ओर हरियाली।
हरे – भरे थे बाग – बगीचे, उपवन,
थी कोई जगह न खाली।
उन्हें समूल नष्ट कर धरा की गोद उजाड़ी।
शनैःशनै सब वन संपदा, मधुवन से कर दी खाली।
घन–घनघोर बरसते मेघा, थी वसुंधरा कहलाती।
ऋतु बसंत में पुष्पों की, आती थी खुशबू मदमाती।
चक्षु प्राणी चहुँ ओर धरा को हरा–भरा पाते थे।
मानव, पशु – पक्षी, वन्य प्राणी,
खुशी से फूले नहीं समाते थे।
कल–कल कर इठलाती नदियाँ,
थे झर–झर बहते झरने।
सरिता के यौवन को देख सिंधु भी,
लगता सजने संवरने।
हे मानव, चेत जा अब भी, कुछ भी नहीं है बिगड़ा
मत कर यह विनाश, उपवन ज्यादा नहीं है उजड़ा
रोती है माता वसुंधरा, तूने चूनर उसकी हटाई
सह न पायेगी वह अपने तन से, आंचल की जुदाई
लौटा दे तू उसकी चुनरियां, नित नये पौधे लगाकर
एक बार फिर ढक दे आंचल,
वृक्षारोपण अभियान चलाकर।
वृक्ष बढेंगे तो बरसेंगे, मेघा काले–काले
अन्न,जल, वनस्पति और शुद्ध पवन के,
नहीं पड़ेगे लाले
यह अभियान रेगिस्तानों में भी हरियाली लायेगा।
भारतवर्ष सोने की चिड़िया, फिर से कहलायेगा
चहुँ ओर चहकेंगी चिड़ियाँ, कली, पुष्प सब मुस्कायेंगे।
हम बेजुबान सृष्टि की वसीयत,
संतुलित जलवायु मौसम का सहारा
हम तो बूढे वट हैं भैया, तुमको यही संदेश हमारा।
है तुममें अद्‌भुत वीरता, माँ भारती की शूरता
हम भी तुम्हारे अपने है।, समृद्धि के मीठे सपने हैं
दिल में हमारे प्यार हैं, उपयोगी बेशुमार है
बेजुबान हैं भले, लग जाओ हमारे गले
फेंक दो हथियार तुम, हम पर न करो वार तुम
कर लो हमसे मित्रता, हम पर न करो क्रूरता।

विनय सिंह ठाकुर
कोषाध्यक्ष
म. प्र. वि. म. तकनीकी कर्मचारी संघ
शाखा – संचा एवं संधा वृत, जबलपुर

मंडल की शान है तकनीकी अवाम

मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल लगभग 53 हजार अधिकारी एवं कर्मचारियों की एक कार्यरत संस्था है। जिसमें तकनीकी कर्मचारियों की संख्या लगभग 35 हजार है। सभी तकनीकी कर्मी अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी से अपने कार्य का निर्वाह करते हुए मण्डल की सेवाओं में अतिमहत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, एवं कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने कार्य को अंजाम देते चले आ रहे है। वे अपने कार्य पर जाते समय हवा पानी एवं तूफान हो या कोई भी तीज त्यौहार हो सब कुछ त्यागते एवं प्रकृति से लड़ते हुए अपने कार्य पर जा कर डटे रहते हैं। उस समय उन्हें केवल अपना दायित्व समझ में आता है तथा अपना कर्तव्य समझकर अपने परिवार से दूर रात वे दिन अपने कार्य करते हैं। हमारा प्रदेश भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से बहुत बड़ा है तथा विद्युत लाईनों का जाल सा बिछा है। आज से 20 साल पहले हर दो तीन गाँव को मिलाकर एक विद्युत तकनीकी कर्मी नियुक्त किया जाता था मगर आज हम देख रहे है कि 15 से 20 गाँवों को मिलाकर एक विद्युत तकनीकी वहा की विद्युत व्यवस्था एवं कार्य को करता है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि वह कर्मी कितने दबाव में अपने कार्य को अंजाम दे रहा है। प्रदेश में कई बार आँधी तूफान एवं भूकम्प जैसी घटनाये घटी है, उस समय तकनीकी कर्मियों एवं अधिकारियों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना कार्य सूचारु रुप से किया है, एवं मंडल ने उन्हें अच्छे सराहनीय कार्य करने के लिए प्रसस्ति पत्र एवं नगद पारितोषिक भी दिया है ऐसा ही कार्य पावर हाउस, उपकेन्द्रों एवं पारेषण लाईनों में कार्यरत तकनीकी कर्मियों ने भी किया है।

आज के समय मंडल में उपभोक्ताओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है एवं कर्मियों की संख्या उपभोक्ताओं के अनुपात में आधी रह गई है कार्य का बोझ इतना अधिक हो गया है कि मजबूरी में तकनीकी कर्मी अति दबाव में कार्य कर रहे हैं। चाहे वह विद्युत सुधार का कार्य हो या उत्पादन का कार्य फिर पैसा वसूली का इन सभी कार्यों का तकनीकी कर्मी अधिकारियों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य करते हैं। उन्हें जो कार्य नहीं करना चाहिए वह भी कार्य दबाव वश कर रहे है। कार्य के दौरान हमारे कई भाई कार्य करते समय शहीद हो गये है, कई शारीरिक तौर पर विकलांग हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनके परिवार की स्थिति अति दयनीय हो चुकी है। जैसा कि हमारे देश की रक्षा करते आतंकी हमले के समय सैनिक मारा जाता है। वह अपने उच्च अधिकारियों एवं अपने कर्तव्य को समझकर कठिन से कठिन परिस्थितयों में अपने कार्य को करते हुए शहीद होता है उन्हें अपने विभाग की तरफ से शहीद का दर्जा एवं परिवार की वे सारी सुविधायें साथ ही अनुकम्पा नौकरी भी एक सदस्य को प्राप्त होती है। जिससे उसके परिवार का पालन पोषण आराम से होता है। मेरी समझ से तकनीकी कर्मी एवं सैनिकों के कार्यों की तुलना की जावे तो दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है एक देश की सेवा के लिए मरता है, तो दूसरा जनमानस की सेवाओं के लिए, इसलिए वैसी ही सुविधाओं की तकनीकी कर्मचारी मंडल प्रसाधन एवं राज्य सरकार से अपेक्षा रखते है। जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, उस परिवार के बच्चे को ध्यान में रखकर मंडल में अनुकंपा नियुक्ति के नियम शिथिल कर पुनः अनुकंपा नियुक्ति आरंम्भ करना चाहिए। आज हमारे सीमित संसाधन एवं

सुरक्षा उपकरणों का अभाव उपर से कार्य का दबाव हमेशा बना रहने के कारण हृदयघात उच्चरक्ततताप एवं डायबिटिज जैसी बीमारियों से कर्मचारी ग्रसित हो रहे हैं मण्डल में ठेकेदारी प्रथा का चलन हो गया है इससे कार्य में गुणवत्ता का कोई भरोसा नहीं है गुणवत्ता विहीन कार्य दुर्घटनाओं को अंजाम देता है। मंडल का राजस्व 250 करोड़ प्रतिमाह से बढ़कर 700 करोड़ प्रतिमाह हो गया है यह कार्य कोई बाहरी व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसे करने में हमारे अधिकारी एवं कर्मियों का बहुत बड़ा योगदान है फिर भी मंडल एवं शासन के पास हमारे लिए क्या है ? पूर्व में मिलने वाली सारी सुविधायें बन्द पड़ी है इस समय अधिकारी एवं कर्मचारी आर्थिक शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से गुजर रहे है इतना सब सहते हुए भी कठिन से कठिन परिस्थितियों से गुजर कर मंडल के कार्यों को अपने स्वयं के विवेक को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता जा रहा है, इन सभी कारणों को देखा जाये तो तकनीकी कर्मी मंडल की शान का प्रतीक है।

तकनीकी का ऐसा काम, जरासी चूक बुरा अंजाम।

के. एन. लोखंडे
प्रांत उपाध्यक्ष एवं वित्त प्रभारी
म. प्र. वि. म. तक. कर्म. संघ जबलपुर

म. प्र. विद्युत मण्डल तकनीकी कर्मचारी संघ

शाखा - गुना

रजत जयंती समारोह की हार्दिक शुभकामनायें

ग्लेडिस्टनजी
(जोनल सचिव)

अशोक भार्गव
(क्षेत्रीय सचिव)

रामचरण यादव
(अध्यक्ष)

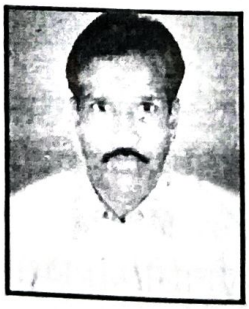

घनश्याम सेन
(सचिव)

मनोज शर्मा
(प्रचार सचिव)

कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों/दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मचारी के अश्रितों को देय लाभ

कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुये कर्मचारियों को नियमों एवं प्रावधानों के तहत् लाभ दिए जाने का नैतिक एवं विभागीय दायित्व हम सभी का है। तथापि अधिकांशतः यह देखा गया है कि जानकारी के अभाव में मैदानी कार्यालयों द्वारा किसी कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को देय सेवानिवृत्ति लाभों या दाबों का समय पर निर्धारण नहीं किया जाता है, परिणामतः सेवा निवृत्ति कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रितों को अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जबकि मण्डल द्वारा परिपत्र क्रमांक 01-05/I/I/-13-(5)/160 दिनांक 12/6/87 जारी कर निर्देश जारी किये गये हैं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ/दावों तथा मृतक कर्मचारी को मृत्योपरान्त मिलने वाले लाभ/ दावे शीघ्रतिशीघ्र निर्धारित समयावधि में निपटा दिये जाने चाहिए।

कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों/ दुर्घटना के परिणामस्वरुप मृत्यु हो जाने पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों को देय लाभ एवं तत्संबंध में जारी किये गये परिपत्र/आदेश निम्नलिखित है –

क्रमांक		परिपत्र/आदेश
1.	अ. कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधि. 1923 के तहत देय दुर्घटना मृत्यु क्षतिपूर्ति राशि	01-08/BA/92/ 1324 दिनांक 12/4/96
	ब. कर्मकार देय क्षतिपूर्ति (संशोधन) अधि. 2000 कार्य के दौरान दुर्घटना मृत्यु क्षतिपूर्ति	01-09/RA/92/1035 दिनांक 28/02/2002
2.	दुर्घटना एवं दुर्घटना के बाद कर्मचारी की मृत्यु के अंतराल में उसे भुगतान की गई चिकित्सा सहायता राशि तथा अस्थायी निःशक्तता हेतु अर्धमासिक क्षतिपूर्ति एवं स्थायी आंशिक निःशक्तता/पूर्ण अर्जन क्षमता में क्षति पर (स्थायी अपंगता की स्थिति में) देय एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि	01-07/IV/7-9 दिनांक 28/2/95 01-05/I/I -249/76 दिनांक 12/4/84
3.	स्थापना विभाग से संबंधित अन्य देयक राशियों के भुगतान के संबंध में	
	अ. मृतक कर्मचारी के दाहकर्म (Funeral) हेतु देय राशि	रु. 2500/-

ब.	अनुग्रह राशि (Ex-Gratia)	रु. 25, 000/– तक अधिकतम सीमा
स.	परिवार पेंशन राशि (Family Pension)	कर्मचारी के आश्रितों को देय
द.	एन्यूटी	
ई.	सामान्य भविष्य निधि (G.P.F)	कर्मचारी के खाते में जमा राशि ब्याज सहित देय
उ.	G.T.I.S- समूह बीमा बनाम बचत योजना के अन्तर्गत जोखिम राशि का भुगतान	Class IV 40 रु. अंशदान / Class III 50 रु. अंशदान
ऊ.	ग्रेच्युटी (D.C.R.G) मृत्यु/ सेवानिवृत्ति उपादान	अधिकतम सीमा 3,50, 000/– रु.
य.	जी.आइ.एस.(नान कंट्री) और गैर अंशदायी समूह बीमा के तहत देय जोखिम राशि	62, 000/–रु. दिनांक 24/6/06
र.	अवकाश खाते में शेष बचे अर्जित अवकाश का नगदीकरण राशि	अधिकतम सीमा 240 दिन
ल.	Settlement Allowance (व्यवस्थापन भत्ता) कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्ति /अनिवार्यसेवानिवृत्ति/ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर देय राशि	रूपये 3000/– (तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी) कर्मचारियों को देय
ब.	अनुकंपा वित्तीय सहायता (C.F.A.) योजना	परिपत्र क्रमांक 01–07/IV/CFA/4822 दिनांक 5/8/2006

यहाँ पर यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि मण्डल के कर्मचारियों के सेवा मे नियोजन के दौरान कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने के परिणामस्वरूप अपगंता/मृत्यु होने पर अर्द्धमासिक / एकमुश्त मुआवजा (क्षतिपूर्ति) राशि के भुगतान विषयक कार्यवाही, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 एवं कर्मकार (संशोधन) अधिनियम 2000 के तहत की जाती है।

कर्मचारियों की घातक/अघातक दुर्घटना होने पर वैधानिक सहायता चिकित्सा राहत राशि की सुविधा

1. कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने हेतु मण्डल द्वारा चिकित्सा राहत के रुप में कर्मचारियों को रुपये 2500/– प्रदान किये जाने के अधिकार कार्यपालन यंत्री स्तर तक के

अधिकारियों को प्रदान किये गये हैं।

2. यदि दुर्घटना के उपरान्त दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके अन्तिम संस्कार हेतु मृतक के परिवार के सदस्यों को रुपये 2500/– की सहायता उपलब्ध करवायी जाती है। (परिपत्र क्रमांक 01–07/IV/9 दिनांक 28/2/95) (01–07/WAC/2074) दिनांक 07/4/2006

3. अ. कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी को जहाँ तक संभव हो सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराये जाने हेतु मण्डल द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है –

1. मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (मेडिकल अटेन्डेंस) रुल्स 1958 जैसा कि मण्डल द्वारा ग्राहय किया गया है के अनुसार उपचार में हुये मान्य चिकित्सा व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसे दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी देश के अन्दर किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं चाहे अस्पताल को मण्डल द्वारा मान्यतता प्रदान की गई हो अथवा नहीं।
2. अधीक्षण यंत्रियों को अधिकार प्रदान किये गये है कि ऐसे दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी जो कि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुये है तथा अस्पताल में उपचार में उपचार रत है को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिये रुपये 10,000/– तत्काल सहायता प्रदान करें तथा यह राशि बाद में कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में समायोजित किये जाने के निर्देश हैं। (आदेश क्रमांक 01–01/IV/488 दिनांक 29/5/03)

ब. ऐसे कर्मचारी जो कि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुय हैं उनके अस्पताल में भरती रहने के दौरान चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त मण्डल द्वारा चिकित्सा सहायता हेतु निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं –

क.	अस्पताल में भरती रहने की अवधि अस्पताल पांढर/बी.एस.पी.	जबकि कर्मचारी शासकीय/ मण्डल के असपताल/मिशन पांढर/बी.एस.पी. भिलाई में भिलाई क अतिरिक्त किसी	जबकि कर्मचारी शासकीय/मण्डल के असपताल/मिशन असपताल भरती हुआ हो।
1.	3 दिन से कम भरती रहने पर	कुछ नहीं	कुछ नही
2.	3 दिन से 5 दिन भरती रहने पर	रुपये 150 प्रतिदिन	रुपये 75 प्रतिदिन
3.	6 वें दिन से 15 वें दिन तक भरती रहने पर	रुपये 450 + 100 रुपये प्रतिदिन 6 वें दिन से	रुपये 225 + 50 रुपये प्रतिदिन 6 वें दिन से
4.	16 वे दिन से अधिक भरती रहने पर	रुपये 1450 + 75 रुपये प्रतिदिन 16 वेदिन से	रुपये 725 + 37.50 रुपये प्रति दिन 16 वें दिन से

मंडल द्वारा उक्त भुगतान की स्वीकृति हेतु अधिकारियों को निम्नानुसार अधिकार प्रदत्त किये गये हैं –

1. कार्यपालन यंत्री एवं समकक्ष रुपये 2500 तक
2. अधीक्षण यंत्री तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं समकक्ष रुपये 5000 तक
3. मुख्य अभियन्ता तथा कार्यपालक निदेशक एवं समकक्ष रुपये 20, 000 तक
4. रुपये 20, 000 से अधिक राशि के भुगतान हेतु मण्डल के संबंधित सदस्य स्वीकृति प्रदान करने हेतु अधिकार

4. **एक्सग्रेसिया (मृत्यु होने पर राहत)**– मण्डल की सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर मण्डल द्वारा मृतक के परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु निम्नानुसार अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने के प्रावधान है –

क्र.	विवरण (परिपत्र का संदर्भ)	प्राधिकारी	सीमा
1.	सेवा के दौरान कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत पहुंचाने हेतु एक्सग्रे–सिया (अनुग्रह राशि) का भुगतान किया जाता है। (01–07/WAC/60 दिनांक 06/08/96 एवं 01–07/WAC/2074 दिनांक 07/4/06)	आहरण एवं वितरणकर्ता अधिकारी, कर्मचारी की मृत्यु के 15 दिन के अन्दर राशि आहरित कर उसका भुगतान करेंगे।	अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक कर्मचारी के आखिरी 6 माह के वेतन के बराबर होगा जिसकी अधिकतम सीमा 25,000/– (पच्चीस हजार)रुपये होगी।

5. **मृत्यु क्षतिपूर्ति Death Compensation** – कर्म चारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा 3 एवं 4 के अन्तर्गत मृत्यु क्षतिपूर्ति **Death Compensation** कर्मचारी के आश्रितों को मृत्यु क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु मण्डल द्वारा कार्यपालन अभियन्ता एवं अन्य उच्चधिकारियों को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं (परिपत्र क्रमांक S - II 9897 दिनांक 01/12/72)

मृत्यु क्षतिपूर्ति हेतु मृत्यु प्रमापत्र/पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया जा कर सुरक्षित रखा जाना चाहिए। मृत्यु क्षतिपूर्ति संबंधित आयुक्त कर्मकार क्षतिपूर्ति (रम न्यायालय) के कार्यालय में दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु के एक माहके अन्दर जमा कराया जाना चाहिये।

अघात दुर्घटना में वैधानिक सहायता

6. अ. चिकित्सा व्यय – दुर्घटना घटित होने की स्थिति में दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी को तत्काल चिकित्सा सहायता (उपचार) उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मण्डल द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी को चिकित्सा राहत रु. 2500/– तत्काल स्वीकृत करने के अधिकार मु.अभि/अति मु.अभि/अधी.यंत्री/कार्यपालन यंत्री/ को प्रदान किये गये हैं। यह राशि कर्मचारी को एडवांस के रुप में प्रदान नहीं की जावेगी, किन्तु जिस अधिकारी के अधीनस्थ दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी कार्यरत था, उस अधिकारी का दायित्व है कि वह दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारी का उचित चिकित्सकीय जाँच एवं उपचार कराना सुनिश्चत करें तथा चिकित्सीय व्यय का सीधे लेखा प्रस्तुत करें।

ब. अर्द्धमासिक क्षतिपूर्ति (मुआवजा)– विद्युत मण्डल के कर्मचारी कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होता है तथा सभी शर्तें पूरी करता है तो वह प्रत्येक सोलहवें दिन अर्द्धमासिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्रता रखता है।

7. मण्डल के परिपत्र क्रमांक 01–05/I/I –249/76 दिनांक 12/4/84 के अनुसार अस्थाई निःशक्तता होने पर निम्नलिखित अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।

अ. पूर्ण मासिक वेतन–

1. अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि में

2. 6 सप्ताह यदि वह अस्पताल में भर्ती नहीं है अथवा उसके अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि 6 सप्ताह से कम होने पर जो अवधि अधिक हो

ब. अस्थाई निःशक्तता आने पर कम्रकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तालिका IV के अनुसार अस्थाई निःशक्तता की शेष अवधि के लिए अर्द्ध मासिक वेतन का क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान किया जावेगा।

8. पेंशन एवं ग्रेच्युटी – म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) रूल 1976 को मण्डल द्वारा ग्राह्य किया गया है तथा 01/4/1987 से ट्रेड स्थापना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन एवं ग्रेच्युटी (D.C.R.G.) की पात्रता हो गई है।

9. एन्युटी – जब तक कि आश्रित उत्तराधिकारी को अनुकम्पा प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उसके एवज में एन्यूटी पेंशन प्रदान की जाती है।

10. मण्डल के आदेश क्रमांक 01–09/2422/2207 दिनांक 05/10/2005 में प्रावधान किया गयाहै कि किसी मानसिक अथवा शारीरिक निःशक्तता के कारण मण्डल की सेवा में स्थायी रुप से अक्षम हो जाने वाले मण्डल कर्मचारियों को असमर्थ घोषित नहीं किया जावेगा। मण्डल के परिपत्र क्रमांक 01–09/242 दिनांक 01/2/2006 में निः शक्त व्यक्तियों के साथ भेदभाव न करने संबंधी दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

11. **Compassionate Financial Assistance scheme** (अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना)–

मंडल के परिपत्र क्रमांक 01–07/IV/CFA/4822 दिनांक 05/8/2006 द्वारा मृतक कर्मचारियों/ अधिकारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के अनुसार मण्डल के कर्मचारी को उसे सौंपे गये कार्य के दोरान (सुरक्षा उपायों का उचित ढंग से पालन करने के बावजूद) दुर्घटना, में मृत्यु अथवा हत्या होने पर, यह मानते हुए कि कर्मचारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने तक मण्डल की सेवा करता, मृतक कर्मचारी/ अधिकारी की मृत्यु तिथि के ठीक अगले दिन से उसकी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने की तिथि तक उनके आश्रितों को मृत कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन के समतुल्य मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें से परिवार पेंशन की राशि समायोजित किये जाने का प्रावधान है। यह योजना दिनांक 05/8/2006 से प्रभावशील है।

– संकलन –

अनूप कुमार श्रीवास्तव
औद्योगिक संबंध अधिकारी
म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल

के. बी. एल. चौकसे
कल्याण अधिकारी
म. प्र. राज्य विद्युत मण्डल

मेहनत की सूखी रोटी पकवान से अच्छी

दान देकर खुद को महान समझने की बजाय मेहनत की कमाई खाने वाला व्यक्ति ही अधिक महान होता है दान में सेवा भाव न हो, तो वह अहंकार को बढ़ाता है। एक बार हातिमताई अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक एक भिखारी दिखाई दिया। हातिमताई उसके पास गये और उसको कुछ दान दिया। थोड़ी उपाय कर हातिमताई ने अपने मित्र से पूछा मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। मेरी दान शीलता से लगता है कि मैं बहुत महान हूं। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो ? मित्र ने जबाव दिया – हातिम ऐसा ही एक बार मुझे लगा था। जिसमें अपनी महानता प्रदर्शित करने के लिए मैंने एक विशाल भोज का आयोजन किया। उसमें मैंने अपने नगर के सारे व्यक्तियों को आमंत्रित किया। मुझे लगता था कि सारा नगर ही मेरे द्वारा दिये गये भोज पर आयेगा। तब अंततः मेरी महानता सिद्ध हो जावेगी। भोज के समय मैं अपने महल की छत पर खड़ा था। वहां दूर मेरी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी वह व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था। मेरे को लगा कि मेरे यहां भोज है। यह बात इस व्यक्ति को नहीं मालूम है। इसलिए मैंने एक अपने नौकर को उसके पास भेजा और बात की सूचना दी किंतु नौकर वापस आ गया और बोला की वह व्यक्ति हमारे यहाँ के भोज में नहीं आ सकता है।

यह बात अजीब सी लगी मैं स्वयं उसके पास गया और भोज में आने के लिए बोला उस व्यक्ति का जबाव था – मैं तो अपने मेहनत की रोटी खाता दूसरों के दाने, कृपा, भलाई का बोझ ढ़ोना मुझे पसंद नहीं बस हातिम उस दिन के बाद से मैं अपने को महान नहीं समझता हूँ। दान देकर खुद को महान समझने की बजाय मेहनत की कमाई खाने वाला ही अधिक महान है।

संकलित – दिनेश दुबे

जबलपुर

म. प्र. वि. मं. तकनीकी कर्मचारी संघ

स्थापना दिवस रजत जयंती समारोह पर हार्दिक शुभकामनायें

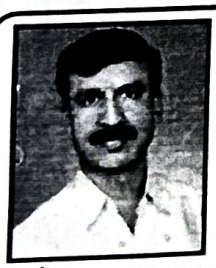

मनोज जायसवाल

जायसवाल स्वीट मार्ट एवं रेस्टारेन्ट

शुद्ध शाकाहारी भोजन हेतु पधारे

देशी घी से निर्मित मिठाई एवं देशी एवं बंगाली स्वीट नमकीन बेकरी जनरल सामान, पूड़ी–सब्जी, मसाला डोसा, छोला–भटूरा उपलब्ध है।

मनीष जायसवाल

ओम साईं नाथ आईसक्रीम पार्लर एवं नमकीन

माल गोदाम चौक, प्लेट फार्म नं. 4, जबलपुर फोन: 2624447

प्रो. – मनोज जायसवाल, मनीष जायसवाल

प्रमुख उपलब्धियां

म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का गठन राज्य शासन द्वारा विद्युत सुधार अधिनियम के अनुपालन में 1 जुलाई 2002 को किया गया, जिसके अंतर्गत कंपनी का मुख्य उद्देश्य म.प्र. राज्य में विद्युत ट्रांसमिशन की गतिविधियों का संचालन करना है।

- कंपनी के गठन के पश्चात् मात्र पांच वर्ष की अवधि में लगभग 3456 सर्किट कि.मी.ई. एच.व्ही. लाइनें निर्मित की गई।
- विगत पांच वर्षों में कंपनी द्वारा 58 सब–स्टेशन बनाये गये।
- इसी प्रकार ट्रांसफार्मेशन क्षमता भी इन्हीं कालखंडों के लिये 5478 एम.व्ही.ए. से बढ़कर, गठन के पश्चात् 8303 एम.व्ही.ए. हो गई।

इसी तारतम्य में कुछ और प्रमुख बिंदु जिनसे किसी भी पारेषण कंपनी की कार्यदक्षता का आंकलन किया जा सकता है, वे म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार है :–

	विवरण	2002–03	2006–07	निष्कर्ष
1.	पारेषण प्रणाली की क्षमता	3890 मेगावाट	6550 मेगावाट	प्रणाली में 67% की वृद्धि
2.	पारेषण हानि में कमी	7.93%	5.00%	पारेषण हानि में 2.93% की कमी

पारेषण प्रणाली में उपलब्धता

वर्ष	म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	वास्तविक उपलब्धि	निष्कर्ष
2005–06	95%	98.40%	निर्धारित लक्ष्य से 3.4.% अधिक की प्राप्ति
2006–07	97%	99.00%	निर्धारित लक्ष्य पार कर, 2% अधिक की प्राप्ति

कंपनी द्वारा पारेषण प्रणाली में 4000 एम.व्ही.ए. आर. क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किये गये हैं, जिनकी वर्ष 2006 –07 में उपलब्धा मानकों के हिसाब से ''सर्वोच्च'' कहा जा सकता है।

इन उपलब्धियों को हासिल करने में कंपनी के समस्त कर्मचारियों के योगदान को रेखांकित करते हुए कंपनी अत्यंत गर्व महसूस करती है।

कार्यालय
म. प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि.

विद्युत उद्योग में सबसे बड़ी तकनीकी कर्मी की भूमिका

1. भारी भरकम पोल उठाकर अड्डे तक पहुँचाये
   क्या – क्या हमने किया नही है इन्हें कौन समझाये
2. गडढ़ा खौदा पोल जमाया, स्टे खूब लगाये
   खड़े पोल पर तार खीचकर घर–घर बल्व जलाये।
3. तार टूट जब गिरा जमीं पर, हम दौड़े–दौड़े आये
   अर्थ राड ले चढ़ा पोल पर, उसमें गांठ लगाये।
4. किसी समय जब भोजन करता तभी संदेशा आये
   जाना है तत्काल क्षेत्र में, खाना तक न खाये।
5. अफसर भी फटकार लगावे, गावों के हैं धौंस जमाते
   इतना सब्र किया फिर भी, हम हेल्पर ही कहलाये।
6. अफसर कहता जल्दी करो तुम काम, आ गई है कम्पनी
   नही मानो बात हमारी हम करदे में तुम्हें यहाँ से बेनाम
7. अफसर कहता मण्डल गया, अब आ गई है कम्पनी,
   अफसर की बात सुन कर्मी चढ़ा पोल पर जल्दी जल्दी
8. कर्मी के कानों में अफसर की गूंजी बात
   जल्दी कर लगा करेन्ट गिरा जमी पर।
9. अफसर भागा–भागा आया कहता हमने नहीं किया आदेश
   न जाने कर्मी बगैर बताए चढ़ा पोल पर कैसे,
10. कर्मी बेचारा बेसाहारा हो कर मारा जाता
    अफसर अपनी बात बनाकर सी.आर. अच्छी लिखवाता
11. तकनीकी कर्मी न देखता ठन्ड, बरसात, गर्मी
    आता संदेश को लेकर विद्युत चालू करता
12. कमर कसी जब तकनीकी ने मंडल को बिकने से बचाया
    कर्मी निकलता राजस्व वसूली में
    महिने 720 करोड़ पहुँचाया
    इतना सब्र किया फिर भी हम हेल्पर ही कहलाये

– हरेन्द्र श्रीवास्तव
कार्यालय सचिव
तकनीकी कर्म संघ

"चिन्तन"

एक दिन
छोटे परदे पर धारावाहिक के दृश्य का
संवाद सुन
कौतूहलवश मेरे बेटे ने पूछा –
पापा, ''कभी सौतन – कभी सहेली'' में
''तनु'' कैसे करेगी ''बच्चा प्लान्ट'' ?
सवाल सुन मैं तो घबरा गया,
सकते में आ गया,
शर्म को दबा गया
सोचा, बच्चों के भी जेहन में
उठते हैं, कैसे–कैसे सवाल
कभी खड़ा न कर दें,
ये कोई बवाल।
फिर खुद को सम्भहाला,
और मुँह से जबाव निकाला।
बेटा, जब तुम अपनी उमर में आओगे,
''बच्चा कैसे किया जाता है प्लान्ट,''
खुद ही समझ जाओगे।

– जुगल किशोर कोष्टा (सचिव)
म. प्र. वि. मं. तकनीकी कर्मचारी संघ
शाक्षा – (संचा/संधा) वृत जबलपुर

विद्युत फ्रेंचायजी

क्या है फ्रें चायजी :– एक प्रायवेट संस्था, समूह अथवा रसूखदार ठेकेदार जिसे विद्युत वितरण से संबंधित कुछ भी ज्ञान न हो, को विद्युत लाइनों के रख रखाव मीटर रीडिंग, बिल वितरण, राजस्व संग्रहण, विद्युत चोरी पकड़ने स्थाई एवं अस्थाई कनेक्शन जारी करने एवं पुरानी बकाया राशि वसूलने का कार्य दो– तीन वर्ष हेतु विभिन्न शर्तों एवं अनुबन्ध पर देना।

सेवा भाव एवं उत्तरदायित्व :– विद्युत मंडल में सेवारत अधिकारी एवं कर्मचारी विद्युत वितरण को सेवा रुप में मानते हुए सम्मानीय उपभोक्ताओं को अपनी सेवायें देते हैं। आँधी, तूफान, कड़कड़ाती ठंड, चिलखती धूप एवं भीषण वर्षा हर विषम परिस्थिति में, प्रत्येक तीज त्यौहार में सतत् विद्युत प्रवाह सुचारु रखने हेतु तत्पर रहते हैं।

क्या कोई प्रायवेट संस्था या ठेकेदार से ऐसे मनोभावों से उपभोक्ताओं की सेवा अपेक्षित है।

फ्रें चायजी लेने का उद्देश्य :– फ्रेंचाइजी व्यवस्था का अर्थ विद्युत वितरण प्रणाली को शुद्ध रुप से ठेके पर देना है एवं किसी भी प्रायवेट संस्था या ठेकेदार का मूल उद्देश्य अधिकतम धनोपार्जन करना है। ऐसे में उपभोक्ताओं के सेवा भाव एवं मानवीय संवेदनाओं की उम्मीद कहाँ तक सम्भव है ?

फ्रें चायजी की शर्तें :– फ्रेंचाइजी लेने वाले को

(अ) वितरण केन्द्र के एक माह के राजस्व की मात्र डेढ़ गुना राशि बतौर अमानत राशि कम्पनी में जमा करनी होगी।

(ब) फीडर पर लगे मीटर की रीडिंग का बिल उस संस्था को प्रत्येक माह जारी होगा, जिसका उसे भुगतान करना होगा। तथा उपभोक्ताओं से महीने भर वसूली गई राशि वह अपने पास रखेगा।

(स) फ्रेंचाइजी संस्था द्वारा स्थाई विच्छेदित (पी.डी.) कनेक्शनों के विरुद्ध लम्बित राशि वसूली पर 25% तथा अस्थाई विच्छेदित (टी.डी.) या वर्तमान एरियर्स वसूलने पर 15% राशि (बतौर प्रोत्साहन राशि) कम्पनी द्वारा दी जावेगी।

(द) विद्युत चोरी प्रकरणों में वसूली गई राशि का 75% फ्रेंचाइजी संस्था को प्राप्त होगा।
नये कनेक्शन जारी करने पर सिंगल फेस कनेक्शन पर रुपय 100/– एवं तीन फेस कनेक्शन पर रुपये 250/– फ्रेंचाइजी संस्था को दिये जायेंगे।

(इ) विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारी प्रारंभ के छः माह तक फ्रेंचाइजी संस्था कार्य करेंगे। तत्पश्चात आधे कर्मचारी छांट दिये जायेंगे और उनके स्थान पर फ्रेंचायजी संस्था द्वारा अपने आदमी। कर्मचारी रखे जायेंगे एक वर्ष पूर्ण होने पर शेष बचे आधे विभागीय कर्मचारियों को भी स्थानान्तरित कर दिया जावेगा। तब सिर्फ फ्रेंचायजी संस्था के ही कर्मचारी विद्युत वितरण व्यवस्था कार्यान्वित करेंगे।

कर्मचारियों को फ्रें चायजी क्यों नहीं :– मण्डल के मैदानी कर्मचारी व अधिकारी पूर्ण समर्पण भाव से मंडल की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी निरन्तर विद्युत प्रवाह सुचारु रख बेहतर उपभोक्ता सेवा उनका मूल उद्देश्य व प्रयास रहता है। परन्तु क्या फ्रेंचायजी संस्था इस पर खरा उत्तर पायेगी, उसके विरुद्ध कोई दण्ड या वैधानिक कार्यवाही का प्रावधान भी नहीं रखा गया हैं, इन परिस्थितियों में मात्र उपभोक्ताओं के शोषण की ही संभावनायें प्रबल होगी।

देश व प्रदेश के आर्थिक विकास में विद्युत और विद्युत कर्मियों की अहम भूमिका है एवं आम नागरिक के लिए भी विद्युत की आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान से कम नहीं। इसके साथ ही विद्युत के उत्पादन मांग और पूर्ति के अनुपात में भारी अन्तर विद्यमान है। इन विषम परिस्थिति में भी मण्डल के कर्मचारियों ने दिन – रात परिश्रम कर मंडल की राजस्व प्रगति 7 50 करोड़ रुपये प्रतिमाह का कीर्तिमान स्थापित किया, जो उनकी मेहनत, निष्ठा एवं कर्तव्य परायणता का स्वयं घोतक है ।

विद्युत मंडल में विगत 12 वर्षों से कर्मचारियों की भर्ती प्रतिबन्धित है, इस अवधि में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं असमय निधन से उनकी संख्या कम हुई है। जिससे विद्युत लाइनों एवं उपकेन्द्रों के विस्तार एवं निरंतर उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या से कार्य का बोझ लगातार बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपने उद्देश्य व लक्ष्य की प्राप्ति की है। इसके विपरीत भले ही मंडल प्रशासन द्वारा उनके हितों व सुरक्षा की अनदेखी की जा रही हो।

यदि किसी निजी फ्रेंचायजी संस्था जिसके पास कार्यानुभव का अभाव है, को विभिन्न तरीकों से लाभ देना प्रस्तावित है, तो मण्डल के अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को यह अवसर प्रदान क्यों नहीं मंडल कर्मचारियों को यह अवसर मिलने से निःसंदेह उनमें नई उर्जा एवं जोश का संचार होगा, जिससे मण्डल को फ्रेंचायजी के पीछे निहित उद्देश्यों की पूर्ति में आशातीत सफलताओं की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

फ्रें चायजी से संभावित हानियाँ एवं प्रश्न :–

1. कर्मचारियों को पेंशन की गारण्टी नहीं, उनके हितों पर कुठाराघात की पूरी संभावनायें। उनकी सेवा शर्तें जो कि वर्तमान में विद्युत मंडल नियमानुसार हैं, क्या बाद में फ्रेंचायजी की शर्तों एवं नियमों पर कार्य करने की बाध्यता नहीं होगी ?
2. यदि फ्रेंचायजी द्वारा मंडल को समय पर बिल का भुगतान नहीं किया जाता तो क्या उसकी आपूर्ति बाधित की जावेगी ? नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है।
3. यदि फ्रेंचायजी संस्था उपभोक्ताओं की जमा राशि लेकर भाग जाती है तो उसका रिकार्ड कहाँ से प्राप्त होगा एवं उक्त राशि मण्डल तथा उपभोक्ताओं के खाते में कैसे जमा होगी ?
4. आपदा की स्थिति में या रात – बेरात विद्युत व्यवस्था का सुधार कार्य फ्रेंचायजी द्वारा न किए जाने पर उपभोक्ताओं को कौन और क्या जबाव देगा ?
5. उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशान एवं शोषण किये जाने पर क्या व्यवस्था होगी ?

इस तरह के तमाम अनुत्तरित प्रश्न हैं एवं फ्रेंचायजी को विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों में निहित विद्युत व उपभोक्ता सेवा से परे हटकर व्यवसायिक दृष्टि से देखा जा रहा है। जो भविष्य में उपभोक्ताओं एवं कर्मचारियों सभी के लिये अहितकारी होगा। जब विद्युत के मुद्दे पर सरकारें बदल सकती हैं तो फ्रेंचायजी एवं अधिनियम क्या चीज हैं ?

''सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना, बाजू ए कातिल में है।''

– मुकेश शुक्ला
कनिष्ठ अभियंता
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.पनागर (शहर) वित. केंन्द्र
जिला – जबलपुर (म.प्र.)

मंडल में कर्मचारियों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं

मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल प्रदेश का एकमात्र विद्युत उत्पादन का उद्योग है। किसी भी देश प्रदेश का विकास विद्युत के बिना संभव नहीं है। बिना बिजली के आम जीवन भी अस्त-व्यस्त हो जाता है। इस उद्योग में लगे कर्मचारी अपना खून पसीना एक कर विद्युत प्रदाय सर्वोपरि मानकर कार्य करते हैं, वह चाहता है कि विकास के मामले में हमारा प्रदेश सबसे आगे रहे। वर्तमान परिस्थितियों का अवलोकन करें तो हमें प्रतीत होगा कि इस औद्योगिक संस्थान में कार्यरत मैदानी कर्मचारियों की स्थिति अत्यंत भयानक व दयनीय है, कारण कर्मचारियों की घटती संख्या व काम का बोझ विगत 20 वर्षों से जहाँ एक और, नई भर्ती बंद है वहीं दूसरी तरफ लाईनों का विस्तार और उपभोक्ताओं की संख्या तेजी है बड़ी है। साथ ही इस उद्योग में बढ़ते राजनीतिक प्रभाव। राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण कर्मचारियों में असुरक्षा का भाव निर्मित हो रहा है। हम अखबार में आये दिन पढ़ते है, कैसी-कैसी धमकियाँ और दबाव से कर्मचारियों को गुजरना पड़ रहा है। आये दिन कर्मचारियों के साथ मारपीट आम बात हो गई है। ऐसे वातावरण में काम करने में कठिनाई का अनुभव हो रहा है।

जिससे मन विचलित होता है फलस्वरुप कर्मचारियों को दबाव में काम करना पड़ता है, जरासी असावधानी या चूक हो जाने पर जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है।

इस उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए जाने चाहिए ताकि वह बिना किसी दबाव, के अपना कार्य संपादन कर सकें। कर्मचारियों की सुरक्षा आज के परिवेश में न केवल आवश्यक है वरन् अनिवार्य भी है।

– के. के. तिवारी
म. प्र. वि. मं. पनागर, जबलपुर

J. K. ASSOCIATES

701, Sneh Nagar, Kamla Nehru Ward, JABALPUR

Ph. : 0761 - 2417929 Mo. : 09301201394, 09424708382

Addl. Work on 11/0.4 KV Sub Station

1. Bombay Hospital and Research Centre Phase I & Phase II
2. Anant Hospital
3. Apex Hospital
4. B. L. A. Industries Gadarwara 33/0.4
5. Patel Sugar Mill Gadarwara 33/0.4
6. Shridhan Sugar Mill Gadarwara 33/0.4
7. Gayan Ganga Eng. College

Contractors & Suppliers

- HT, LT, Sub Stations
- Over Head Lines
- Control Panel
- Electrical & Mechanical Installation
- Instruments Supplier

नर्मदा प्रदेश कि जीवन रेखा

भारत कि प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, त्रिवेणी, गोमती, इत्यादी में नर्मदा नदी भी है। यह अमरकंटक से निकल कर बंगाल खाड़ी में जाकर मिलती है।

नर्मदा जिस प्रदेश से बहती है। उस प्रदेश के लोगों का नर्मदा से गहरा संबंध बन गया है। नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित शहर धार्मिक स्थल माने जाते हैं। इसलिए इन स्थानों पर भारत के सभी प्रान्तों के लोगों का आवागमन रहता है। जिसके कारण भारत के सभी प्रान्तों के लोग उस शहर कि सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं।

इन स्थली पर समय पर मेलो का आयोजन होता है। अतः नर्मदा के किनारे लगे मेलों से वहाँ कि आर्थिक उन्नति वहाँ के आस पास के शहरों, गाँवों की होती है। और यहां उनका प्रमुख व्यवसाय बन गया है। वहाँ के लोगों कि आर्थिक उन्नति और होती है।

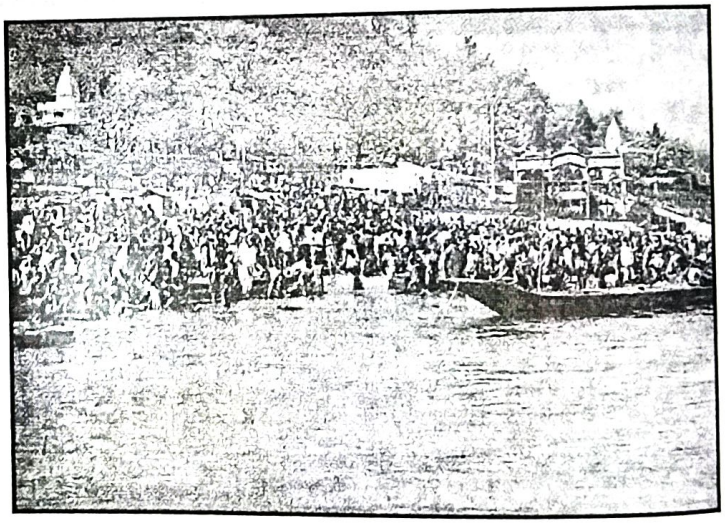

नर्मदा के किनारे पर स्थित वनों में कई प्रकार कि जड़ी –बूटी पाई जाती है। इस के किनारे जानवरों के चारागाह भी अच्छे हैं

मगर कई मनुष्य नर्मदा जैसी पवित्र नदी में गाय भैस को पानी में नहलाते हैं। जिससे उनके शरीर कि गंदगी पूरे नदी में फैल जाती है। जो कि मानव जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है।

नर्मदा नदी के आस –पास के गाँवों में खेती अच्छी होती है। जो कि भारत वासियों के जीवन का प्रमुख उद्योग है इस पर उनका जीवन यापन होता है। नर्मदा पर बाँध बनाकर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तथा उससे कई नहरें भी निकाली गई है। जिनकी सहायता से खेतों में सिचाई की जाती है।

जब हम नर्मदा के आस–पास के किसी पर्यटक स्थल पर पिकनिक मनाने जाते है। तो भोजन कि सामग्री जैसे चूल्हे कि राख, झठे भोजन को नदी में बहा देते हैं। जो कि नदी में मिल जाते हैं और जानवर उसे पानी समझकर पी जाते है। जिससे उनके शरीर में अनेक प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है। और वे मृत्यु का शिकार बन जाते हैं।

नर्मदा में गणेश दुर्गा जो कि प्रतिमाओं का विर्सजन लोग करते हैं जिससे नर्मदा नदी का पानी गंदगी से भरा बन जाता है। जिससे जल प्रदूषण फैलता है। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें एक गहरा गड्डा बनाकर उसमें गणेश प्रतिमाओं का विर्सजन करना चाहिए। इस प्रकार नर्मदा प्रदेश की जीवन रेखा है, थी और रहेगी।

– हिंमाशु कृष्णा लोखंडे

हवा में बहती बिजली -मोबाइल चार्जिंग

कई बार होता है कि आप किसी सफर पर हो और आपके मोबाइल की बेट्री बैठने लगती है। कई मर्तबा रीचार्जिंग सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती और फिर आपको घंटो मोबाइल की सुविधा से वंचित हो जाना पड़ता है। काश ऐसा कोई तरीका होता कि बेट्री समाप्त होने से पहले ही किसी मित्र को फोन करके कह सकते ''यार मेरे मोबाइल पर थोड़ी बिजली भेज देना'' ताकि मैं अपने मोबाइल को चार्ज कर सकूँ। फिर हाल यह कल्पना की बात लगती है, लेकिन भविष्य में सच में बदल सकती है। यह उम्मीद जताई है मैसान्चुसेटस इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (एम.आइ.टी.) के शोधकर्त्ताओं ने। उन्होंने एक यंत्र के जरिए सात फीट दूर स्थित 60 वॉट के एक बल्व तक ऊर्जा भेजकर उसे रोशन कर दिखाया और इस प्रकार भविष्य की बड़ी खोज का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। इस कारनामें की जानकारी अभी हाल ही में जर्नल साइंस के आनलाइन प्रकाश साइंस एक्सप्रेस में दी गई है। वैज्ञानिकों ने इस नई खोज को ''वाइट्री सिटी'' नाम दिया है। इस नई खोज से इलेक्ट्रानिक दुनिया में उम्मीदों ने नए पंख लग गए है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर मोबाइल जैसे उपकरणों को हवा के जरिये बल्कि उनमें इस्तेमाल होने वाले खतरनाक दुष्प्रभावों से भी मुक्ति मिल जायेगा। एम.आई.टी में भौमिक शास्त्र के प्रोफेसर मेरिन सोल जेसिक का कहनाहै कि अभी यह प्रणाली केवल 40 से 45 फीसदी कार्यक्षम है। अगर इसे बैट्रीयों के समान कार्यक्षम बनाना है तो इसमें काफी विकास की जरूरत होगी। इसके अलावा दूरी का भी सवाल है, अभी जो प्रयोग किया गया है वह सात फीट की दूरी तक ही सफल रहा है। यानि इसे व्यवहारिक रुप से उपयोगी बनाने के लिये दूरी की समस्या को भीसुलझाना होगा। इसके अलावा ऊर्जा के संप्रेषण के लिये फिलहाल तांबे की दो फीट लंबी क्वाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह भी व्यावहारिक रुप से अनुपयोगी है। सोत्रेसिक का मानना है कि इस तरह का अविष्कार संभव है। इस दिशा में अगला कदम एक से अधिक बल्वों को प्रकाशित करना और उसके बाद लेपटाप को चार्ज करना होगा।

गौरतलब है कि वायर लेस विद्युत संचार का विचार नया नही है इस पर छोटे मोटे प्रयोग पहले भी हो चुके है, लेकिन इसके व्यापक इस्तेमाल को इस आधार पर बढ़ावा नहीं दिया गया कि चार्जिंग उपकरण से निकलने वाली विद्युत चुबकीय ऊर्जा सभी दिशाओं में फेलेगी जो नुकसानदायक होगी। लेकिन इस नए उपकरण के अविष्कारकों का दावा है कि ''वाइट्रीसिटी'' में इस्तेमाल की गई मेग्रेरिक कपलिंग प्रक्रिया मानव व अन्य प्राणियों के लिये पूरी तरह सुरक्षित है

इसके अलावा शुरुआती प्रयोगों में मोबाइल फोन व अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा। यानि इसका उपयोग उपकरण के लिये हानिकारक नहीं होगा।

संभाग
स्वतंत्रमत जबलपुर द्वारा (संकलन)
राजेश डोंगसरे

क्रोध की आग को धैर्य से बुझाए

क्रोध की अग्नि को धैर्य और त्याग का जल शांत कर सकता है। क्रोध पर जिसका नियंत्रण है वह बलवान है, अपने व्यक्तित्व का मालिक है।

क्रोध पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि क्रोध त्याग दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि जब उचित लगे तब हमें क्रोध आए और हमारे ही नियंत्रण से चला जाए। अधिकांश मौकों पर क्रोध अपनी इच्छा से आता है और जाता है। जबकि क्रोध करने वाला उसके सामने असहाय हो जाता है। जैन मुनि एक कथा सुनाते हैं। दो पड़ोसियों में बात-बात पर झगड़ा हो जाता था। दोनों ही अधीर थे। एक दिन एक पड़ोसी ने अत्यधिक क्रोध में आकर दूसरे के घर पर एक जलती हुई मशाल फेंक दी और भाग गया। पड़ोसी का घर जलने लगा। उसने मशाल फेंकने वाले अपने पड़ोसी को भागते हुए देख लिया। इधर उसका घर जल रहा था, उधर जलाने वाला भाग रहा था। वह भीं गुस्सैल था। वह घर जलाने वाले अपने पड़ोसी के पीछे भागा। दोनों दूर तक निकल गए। इधर जिस पड़ोसी का घर जल रहा था, उसकी अग्नि इतनी विकराल हुई कि उसमें उसके पड़ोस का घर भी जल गया जिसमें वह आग लगाकर भागने वाला रहता था। परिणामस्वरूप दोनों के घर जल गए। जब दोनों के घर जल गए। जब दोनों लौटे और सब कुछ खाक देखा तो सिर पर हाथ रखकर बैठे गए और उन्हें तब समझ में आया कि मकान की अग्नि शांत हो सकती थी, यदि हम अपने भीतर की क्रोधाग्नि को शांत कर लेते। जिसके घर पर मशाल फेंकी गई थी, वह व्यक्ति अपने भीतर की क्रोधाग्नि को नियंत्रित नहीं कर सका। गुस्से में यदि उसके पीछे भागा न होता और अपने घर लग रही आग बुझाता, तो अधिक उचित होता। मकानों का जलना तो सिर्फ एक प्रतीक घटना है। हम अनेक मौकों पर बाहर घट रही घटनाओं से अपने भीतर की क्रोधाग्नि को भड़कने देते हैं और फिर यह ज्वाला बनकर हमारे व्यक्तित्व को, हमारी सफलताओं को झुलसाती है। क्रोध की अग्नि को धैर्य और त्याग का जल शांत कर सकता है। इस क्रोधाग्नि पर जिसका नियंत्रण है वह बलवान है, अपने व्यक्तित्व का मालिक है।

– मनोज दुबे
''संकलित''

गज़ल

ये तसब्बुर से मेरी तन्हाइयां
चलती फिरती हैं तेरी परछाइयां

एक मुद्द हो गई डोला उठे
गूंजती हैं ज़हन में शहनाइयां

चारासाजों ने तसल्ली जब मीदी
जख्म दिल की बढ़ गई गहराइयां

जिन्दगी को इश्क ने तोहफे दिये
रंजो गम आटो फुगां रुसवाइयां

जिन्दगी को दे गई हैं तीरगी
उस सराप हुस्न की रानाइयां

जलज़ला सा शहरे दिल में आ गया
आपने पैहम जो लीं अंगड़ाइयां

महफिल रंगीं मुबारक हो तुम्हें
मुझको प्यारी हैं मेरी तन्हाइयां

जानिबे मंजिल चला इस शान से
आगे पीछे हैं मेरी परछाइयां

फिर उम्मीदों ने किया ''हनफी'' मजाक
फिर तमन्नाओं ने लीं अंगड़ाइयां

– एस.एम. अली ''हनफी''
2468, शास्त्री वार्ड, शर्फाबाद,
जबलपुर 482002

तकनीकी कर्मचारी की तकनीकी साथी के लिये आवाज

मेरे प्यारे तकनीकी कर्मचारी साथी भाईयो, म. प्र. वि. म. तकनीकी कर्म संघ के रजत जयंती वर्ष के लिए बहुत बहुत बधाई। साथियो तकनीकी कर्मचारी संघ ने हम सभी सदस्यों की भलाई के लिए अपनी आवाज बुलंद कर मंडल में तकनीकी कर्मचारियों की पहचान दिलवाई और दिलवाया है हमें जान की जोखिम के लिए जोखिम भत्ता साथ ही हमारे दुर्घटना ग्रस्त साथी को समुचित इलाज सुविधा, इसके अलावा हमारे परिवार सुरक्षा तरक्की के लिए हमें मृत साथी के परिवार को उसकी सेवानिवृति की तिथि तक पूरा वेतन एवं पेन्शन सुविधा जो हमारे न रहने पर हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान करती है।

साथियों जैसा कि आप जानते हैं हम तकनीकी कर्मचारी चाहे पावर हाउस में कार्यरत हो या उपकेन्द्रों में अथवा वितरण लाइनों के रखरखाव में कार्यरत हों हमें बिजली के उत्पादन से लेकर वितरण तक की व्यवस्था में बिजली का खतरनाक जोखिम भरा कार्य सर्दी, बरसात, गर्मी में 24 घंटे लगातार करना होता है। ऐसे में हमारी जान का खतरा दुर्घटना का भय हमें बना रहता है, और हम देखते हैं हमारे बीच के अनेक साथी आये दिन विद्युत दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं या तो अपंग हो जाते हैं अथवा अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं जिससे उनका परिवार वे सहारा हो जाता है। ऐसे में संगठन ने तो मंडल से जो सुरक्षा व मुआवजा का प्रावधान कराया है। वह अपने आप में पर्याप्त है। पर एक तकनीकी कर्मचारी होने के नाते हमारा भी अपने साथी के लिए कुछ फर्ज बनता है यदि मृत कर्मी के साथी उसके परिवार की सहायता करते हैं तो उस बेसहारा परिवार को एक सुखद अनुभूति होगी उसे लगेगा की उनके परिवार के मुखिया के साथी उनके साथ है बेसहारा नहीं है।

अतः आप सब तकनीकी साथियो से अपील है कि आप आपने मृत अथवा दुर्घटना ग्रस्त साथी के परिवार के लिए तकनीकी साथी 5 या 10 रु. प्रति कर्मचारी से राशि एकत्र कर स्थानीय स्तर पर एक कोष बनावें और किसी साथी के मृत अथवा अपंग होने पर उक्त कोष से सहायता राशि उसके परिवार को प्रदान कर सांत्वना देकर विश्वास दिलायें बेसहारा नहीं हैं हम सब तकनीकी उनके साथ हैं। यही है एक तकनीकी कर्मी की अपने साथियो के लिए भाईचारा की आवाज।

वीरेन्द्र कुमार रोहितास
लाइन परिचारक श्रेणी – 2
मिशन कंपाउंड जोन शहर
पश्चिम संभाग जबलपुर

आओ बनाएं... एक बुलंद भारत!

जेपी

बुलंद

सीमेन्ट

शक्ति विशाल रक्षा की ढाल

बुलंद शक्ति ... अटूट विश्वास

रीवा	जबलपुर	भोपाल	ग्वालियर
जेपी नगर	चौथा पुल, नेपियर टाउन	ई-1/109, अरेरा कालोनी	23, कैलाश विहार कालोनी
07662-229212-17	0761-4043387-2413417	0755-4272385-86	0751-4086175